




भारत सरकार, रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना
(सीईएन - 01/2019)



विभिन्न गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटि (एनटीपीसी) पूर्व-स्नातक एवं स्नातक स्तरीय की पदों की भर्ती





भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या सीईएन 01/2019

गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) – पूर्वस्नातक ओर स्नातक पदों के लिए

महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं समय	
रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट में प्रकाशन की तिथि	28.02.2019
आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ	01.03.2019 को 16.00 बजे से
आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण की समाप्ति	31.03.2019 को 23.59 बजे तक
आवेदन शुल्क निम्नलिखित माध्यम से भुगतान करने की समाप्ति तिथि एवं समय :	
(क) ऑनलाइन (नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ यूपीआई)	05.04.2019 को 23.59 बजे तक
(ख) एसबीआई चालान	05.04.2019 को 15.00 बजे तक
(ग) पोस्ट ऑफिस चालान	05.04.2019 को 15.00 बजे तक
आवेदनों को अंतिम रूप से जमा करना	12.04.2019 को 23.59 बजे तक
प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)	जून - सितंबर, 2019 के मध्य संभावित

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं तथा भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों की तिथियों की जानकारी समय-समय पर इस सूचना के पैरा - 20.0 में अनुसूचित रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।

रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों और इस सीईएन के पैरा 4 में वर्णित अन्य नागरिकों से भारतीय रेल की विभिन्न जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) अर्थात् कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ समयपाल, ट्रेन लिपिक, वाणिज्य सह टिकट लिपिक, यातायात सहायक, गुड्स गार्ड, वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, वरिष्ठ समयपाल, वाणिज्य प्रशिक्षु और स्टेशन मास्टर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण आवेदन दिनांक 12.04.2019 को 23.59 बजे तक चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

एक झलक में रिक्तियों का विवरण

क. 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष परीक्षा के साथ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और 01.07.2019 को 18 से 30 वर्ष के बीच आयु वाले पूर्वस्नातक पदें।

क्र.सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	प्रारंभिक वेतन (₹.)	चिकित्सा मानक	कुल रिक्तियाँ (सभी आरआरबी)
1	कनिष्ठ लिपिक सह टंकक	2	19900	सी-2	4319
2	लेखा लिपिक सह टंकक	2	19900	सी-2	760
3	कनिष्ठ समयपाल	2	19900	सी-2	17
3	ट्रेन लिपिक	2	19900	ए-3	592
4	वाणिज्य सह टिकट लिपिक	3	21700	बी-2	4940
कुल योग					10628

ख. विश्वविद्यालय उपाधि या इसके समकक्ष स्तर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और 01.07.2019 को 18 से 33 वर्ष के बीच आयु वाले स्नातक पदें।

क्र.सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	प्रारंभिक वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	कुल रिक्तियाँ (सभी आरआरबी)
1	यातायात सहायक	4	25500	ए-2	88
2	गुड्स गार्ड	5	29200	ए-2	5748
3	वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक	5	29200	बी-2	5638
4	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	5	29200	सी-2	2873
5	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5	29200	सी-2	3164
6	वरिष्ठ समयपाल	5	29200	सी-2	14
7	वाणिज्य प्रशिक्षु	6	35400	बी-2	259
8	स्टेशन मास्टर	6	35400	ए-2	6865
कुल योग					24649

टिप्पणी : विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर), ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण, इस सीईएन में निहित विवरण के अनुसार लागू होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश – ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करना

- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 31.03.2019 तक, पद (पदों) के लिए निर्धारित सभी योग्यता प्राप्त है/ पात्रताएँ पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में दिए संपूर्ण निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीईएन के पैरा 20.0 पर दिए गए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचीबद्ध वेबसाइटों पर ही जाएँ तथा नकली वेबसाइटों तथा जालसाजों से सावधान रहें।
- चूँकि रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से संबंधित प्रत्येक सूचना केवल एसएमएस अथवा ई-मेल से भिजवाई जाती है, अतः उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर एवं वैध तथा कार्यरत (चालू) ई-मेल पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर एवं ई-मेल भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय होना चाहिए। किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल परिवर्तन के लिए अनुरोध पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेगा।
- आवेदन, केवल ऑनलाइन और पैरा 20.0 पर सूचीबद्ध किए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं। इस सीईएन में अधिसूचित सभी पदों के लिए चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु केवल एक आवेदन उस चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत करना चाहिए। उम्मीदवार सिर्फ एक रेलवे भर्ती बोर्ड को आवेदन कर सकता है। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करने से सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएन के विरुद्ध किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसे अयोग्य और वंचित घोषित कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर पद मापदंड तालिका (पोस्ट पैरामीटर तालिका) और रिक्ति तालिका को अवश्य पढ़ना है और अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी है। अपनी योग्यता को जानने के बाद

केवल किसी एक रेलवे भर्ती बोर्ड पर जाकर उसमें निहित पद (पदों) के विकल्प को चुनें। एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करने के पश्चात् वह अंतिम होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवार की पात्रता पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र या प्रमाणपत्र या उनके फोटोकॉपी के प्रिंटआउट संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात्, किसी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना गलत होने/ सही न होने अथवा संबंधित सूचना को छिपाए जाने अथवा उम्मीदवार द्वारा पद (पदों) के लिए अपेक्षित मानदंड पूरे नहीं किए जाने का संज्ञान होता है, तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
आवेदन जमा करने के पश्चात् भी, किंतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर, संशोधन शुल्क जमा करने के उपरांत, उम्मीदवार आवेदन विवरण में चयनित आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अतिरिक्त अन्य विवरणों को संशोधित कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (दिनांक 12.04.2019) के पश्चात् आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए प्रस्तुत किसी भी अभ्यावेदन पर आरआरबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
8. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को यह ध्यान देना चाहिए कि आवेदन किए गए पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को नियुक्ति के समय पूरा न करने वाले उम्मीदवारों को वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
9. केंद्र / शहर का आवंटन तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को अन्य शहरों / राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा केंद्र के परिवर्तन का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. अंतिम क्षणों में भीड़ (व्यस्तता) से बचने के लिए उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दिया जाता है कि वे अपने आवेदन को अंतिम तिथि के पर्याप्त समय से पूर्व जमा कर दें, क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/ असफलता हो सकती है।
उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश – परीक्षा प्रक्रिया

1. कदाचार : किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजते पाया गया, तो रेलवे भर्ती बोर्ड/ आरआरबी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
2. प्रतिबंधित सामग्री :- परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ, पैन ड्राइव, लैपटाप, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पैन/ पेंसिल, वालेट/ पर्स, बेल्ट, जूते और धात्विक कपड़े या आभूषण इत्यादि लाना सख्त मना है। इन निर्देशों के प्रति किए जाने वाले उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर उपर्युक्त प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ न लाने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।

3. **परीक्षा के चरण :** दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के पश्चात् कौशल परीक्षा (स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ समयपाल, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक और वरिष्ठ समयपाल के लिए टंकण कौशल परीक्षा) होगी। तत्पश्चात्, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी।
ट्रेन लिपिक, वाणिज्य सह टिकट लिपिक, गुड्स गार्ड, वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक, वाणिज्य प्रशिक्षु के लिए दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के पश्चात् दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी।
4. **बुलावा पत्र :** उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक से शहर और तिथि सूचना, ई- बुलावा पत्र तथा यात्रा प्राधिकार (जहाँ भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।
5. **अंकों का सामान्यीकरण :** बहु सत्रों में शामिल परीक्षा के सभी चरणों के लिए अंक सामान्यीकृत हो जाएँगे। इस सूचना के पैरा 14.0 और 14.1 में दिए गए सूत्रों के अनुसार अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा।
6. **विभिन्न चरणों के लिए चयन:** द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की रेलवे भर्ती बोर्डवार चयन रिक्तियों के 20 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) की दर से की जाएगी। द्वितीय चरण सीबीटी के लिए चयन, प्रथम चरण सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होगी। कौशल परीक्षण जैसे कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा और टंकण कौशल परीक्षा के लिए चयन द्वितीय चरण सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 8 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) तक की जाएगी।
7. **नकारात्मक अंकन :** कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट दिए जाएँगे।

विस्तृत सीईएन

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों के लिए प्रवेश, उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होगा, साथ ही पूर्णतः अस्थायी होगा।
- 1.2 उम्मीदवार को मात्र ई-बुलावा पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार मानी गई है।
- 1.3 रेलवे भर्ती बोर्ड, परीक्षा के सभी चरणों में योग्य होने के बाद ही मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है, यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
- 1.4 इस अधिसूचना की प्रतिक्रिया में पद (पदों) हेतु आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएँ) तथा चिकित्सा मानक (मानकों) सहित अन्य पात्रताओं से स्वयं संतुष्ट हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत आवेदन पंजीकृत किए जाने की अंतिम तिथि 31.03.2019 तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी योग्यता है। वे उम्मीदवार पात्र नहीं माने जाएँगे, जिनकी निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

- 1.5 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के विरुद्ध सूचना तथा / अथवा तथ्यों में थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएँगे तथा ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड तथा रेलवे भर्ती सेल की आगे की सभी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ।
- 1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड / रेलवे भर्ती सेल द्वारा जीवन भर के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया गया है, जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे उम्मीदवार इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन न करें। ऐसे उम्मीदवारों का संज्ञान होते ही भर्ती के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।
- 1.7 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का उल्लेख केवल अपने मैट्रिक / एसएसएलसी / हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाणपत्र के अनुसार ही करना चाहिए ।
नाम परिवर्तित होने की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में केवल अपने परिवर्तित नाम का उल्लेख ही करना चाहिए। तथापि, मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण पत्रों में दिए गए अन्य विवरण अवश्य अनुकूल होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए ।
ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज़, दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।
- 1.8 उम्मीदवार द्वारा सभी दस्तावेज़ों पर अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में रनिंग हैंड राइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा ये ब्लॉक / बड़े अक्षरों अथवा असंबद्ध अक्षरों में नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, टंकण कौशल परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा इत्यादि (यथा लागू) के समय विभिन्न स्वरूपों में किए जाने वाले हस्ताक्षरों के परिणामस्वरूप उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।
- 1.9 भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट पर भी परीक्षा की तिथि का प्रकाशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, टंकण परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) के लिए ई-बुलावा पत्र केवल संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाक के द्वारा कोई भी बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। बुलावा पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र, तिथि तथा पाली अंतिम है। रेलवे भर्ती बोर्ड बिना किसी कारण बताए अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षा, टंकण परीक्षा और / या अतिरिक्त दस्तावेज़ सत्यापन आदि आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।
- 1.10 केंद्रीकृत रोज़गार सूचना में उल्लिखित रिक्तियाँ अस्थायी हैं तथा यह बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं या किसी विशेष रेलवे/ इकाइयों/ समुदाय/ पदों के संबंध में रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाद में बदल सकती हैं। बाद के स्तर पर भी रेलवे आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं ।
रेलवे प्रशासन के पास अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा सभी पर ऐसे निर्णय अंतिम एवं प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होंगे। अधिसूचित रिक्तियाँ रद्द किए जाने की स्थिति में परीक्षा में भाग ले चुके उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई शुल्क की धन वापसी नहीं की जाएगी। शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त श्रेणियों की जानकारी के लिए पैरा 7.0 देखें ।
- 1.11 पद और / या रेलवे (रेलों) / यूनिट के लिए वरीयता : चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों
के विकल्प, जिनके लिए वे योग्य हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएँगे।
भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार पद और रेलवे/ यूनिट आवंटित करेंगे, जो केवल योग्यता और रिक्ति की स्थिति के अधीन होंगे। एक बार

उम्मीदवारों को उनकी योग्यता / पसंद के अनुसार पैनल में रख लिया जाता है, तो वे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के किसी अन्य पद / श्रेणी के लिए विचार किए जाने के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे।

आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। अगर कुछ पदों के लिए गैर-विकल्प को चुना जाता है तो उसके लिए उनकी अनिच्छुकता के रूप में माना जाएगा।

यद्यपि, प्रशासनिक हित में आवश्यक माना जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड भी उम्मीदवारों को पद / रेलवे / यूनिट को आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो कि संबंधित पद की आवश्यकताओं को उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के द्वारा पूर्ण करने के अधीन होगा।

पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की कमी या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.12 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन कर लिए जाने मात्र से ही कोई उम्मीदवार रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्य योग्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा जोनल रेलवे / उत्पादन इकाई को करना है, जहाँ से ऐसी अनुशंसा की प्रक्रिया में रिक्तियों तथा पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी मानदंडों के प्रति संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं।

1.13 जहाँ निर्धारित हो उन मामलों में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान केवल लागू वज़ीफ़ा का ही भुगतान किया जाएगा।

1.14 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में कार्यग्रहण के समय यथा लागू प्रतिभूति तथा/ अथवा क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।

1.15 सामान्यतः रेल कर्मियों की नियुक्ति, उनके पूर्ण सेवा काल के दौरान, उस रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में ही रहती है, जहाँ उनकी पहली नियुक्ति की गई थी तथा उन्हें किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तथापि सेवा की अनिवार्यता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेल कर्मियों को भारत अथवा भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में स्थानांतरित किया जा सकता है।

1.16 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.17 सिर्फ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मुफ्त स्लीपर क्लास रेलवे पास स्वीकार्य होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जो यह मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में 'हाँ' भरना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपलोड किए गए वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण के आधार पर, चयन के विभिन्न चरणों यथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, टंकण परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन (जैसा भी लागू हो) में भाग लेने के लिए जारी ई-बुलावा पत्र में मुफ्त शयनयान श्रेणी रेलवे पास भी शामिल होगा। मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम भरें इसके बिना उनका यात्रा प्राधिकार यात्रा के लिए तथा आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क तथा / अथवा टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी, उम्मीदवार की यथार्थता के सत्यापन के लिए उससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वैध प्रमाणपत्र की माँग कर सकेंगे। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

- 1.18 आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों में किसी प्रकार की अनुवर्ती परिवर्तन/ संशोधन/ संवर्धन का समावेश करने का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड को है।
- 1.19 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ, संबंधित संगठनों की भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्हें बताया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इस आशय से संबंधित सहमति अथवा असहमति दी जा सकती है।

2.0 रिक्तियाँ :

- 2.1 सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के पद मानदंडों अर्थात (योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता इत्यादि) अनुलग्नक-ए में शामिल हैं।
- 2.2 एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्त पदों के लिए आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे/ यूनिट और पदवार रिक्तियाँ अनुलग्नक-बी में शामिल हैं।
- 2.3 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार यह रिक्तियाँ बढ़ या घट सकती हैं (कृपया सामान्य निर्देश का पैरा 1.10 देखें)।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक :

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएँ) उत्तीर्ण करनी होंगी, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद (पदों) से संबंधित कार्यों को, उनके द्वारा कार्यान्वित कर सकने की चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। चिकित्सा मानक नीचे उल्लिखित है :-

क्र. सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि तीक्ष्णता
1	ए-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 बिना चश्मे के (कुहरा परीक्षा नहीं)। नजदीक की दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 बिना चश्मे के साथ रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है।
2	ए-3	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 2डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ तथा रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है।
3	बी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 4 डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ तथा बायनोकुलर दृश्यता परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है।
4	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/12, चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के शून्य। नजदीक की दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब एसएन 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ।

टिप्पणी : उपर्युक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं हैं तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं। उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के अध्याय 5 का अध्ययन कर लें, जो www.indianrailway.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे ए2, ए3, बी1 तथा बी2 के चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों पर भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम I के पैरा 534 में वर्णित मानक लागू होंगे, जिन्हें www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा चुने गए पद के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार वे पात्र हैं। चयनित पदों के लिए निर्धारित मेडिकल उपयुक्तता उत्तीर्ण करने में विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को उस पद के लिए पैनल में रखने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा और न ही कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता :

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए :

- क. भारत का नागरिक, अथवा
- ख. नेपाल का मूल निवासी, अथवा
- ग. भूटान का मूल निवासी, अथवा
- घ. तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से आया है अथवा
- ङ. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश के केन्या, युगांडा, तंजानिया गणराज्य, मालावी, जाइरे, इथोपिया तथा वियतनाम से आकर भारत में स्थायी निवासी की तरह निवास कर रहा है।
- च. बशर्ते यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) की श्रेणी से संबंध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4.2 ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक हो, तथापि भारत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।

5.0 आयु सीमा :

5.1 रिक्ति सारणी में दिए गए सभी निर्धारित पद (पदों) के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु का आकलन 01.07.2019 की तिथि के अनुसार किया जाएगा।

5.2 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर-2 तथा स्तर-3 (पूर्वस्नातक स्तरीय पदों) के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच होगी :
(दोनों तिथियाँ मिलाकर)

आयु वर्ग	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पूर्व नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (इससे पश्चात् नहीं)
	अना	अपिव (गैर क्रीमी लेयर)	अजा / अजजा	सभी समुदाय/ श्रेणी के लिए
18 से 30	02.07.1989	02.07.1986	02.07.1984	01.07.2001

टिप्पणी :

- i. उपरोक्त तालिका में अजा, अजजा और अपिव- गैर क्रीमी लेयर के लिए दिए जन्मतिथि की सीमा में समुदाय आयु छूट शामिल है।
- ii. पैरा 5.3 पर दिए तालिका में उल्लिखित समुदाय/ श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार यथा लागू आयु में छूट के पात्र होंगे।

5.3 तथापि ऊपरी/ अधिकतम आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों/ समुदायों को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर छूट प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	समुदाय/ श्रेणी	पूर्वस्नातक स्तरीय पदों के लिए ऊपरी आयु में छूट (या) अधिकतम आयु	
1	अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)	3 वर्ष	
2	अनुसूचित जाति / जनजाति	5 वर्ष	
3	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माह से अधिक की सेवा की है	अना	30 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	33 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		अजा/ अजजा	35 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
4	बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	अना	10 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	13 वर्ष
		अजा/ अजजा	15 वर्ष
5	वह उम्मीदवार जो 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान मूलतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सामान्य निवासी रहा है	अना	35 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	38 वर्ष
		अजा/ अजजा	40 वर्ष
6	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' में कार्यरत हैं, रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर अथवा खंडित भागों में) के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं	अना	40 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	43 वर्ष
		अजा/ अजजा	45 वर्ष
7	रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे, रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनिस्टिट्यूट में काम करने वाले उम्मीदवार	अना	30 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	33 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		अजा/ अजजा	35 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
8	विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली, लेकिन दुबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार	अना	35 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	38 वर्ष
		अजा/ अजजा	40 वर्ष

- 5.4 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर-4, स्तर-5 तथा स्तर-6 (स्नातक स्तरीय पदों) के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच होगी : (दोनों तिथियाँ मिलाकर)

आयु वर्ग	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पूर्व नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (इससे पश्चात् नहीं)
	अना	अपिव (गैर क्रीमी लेयर)	अजा / अजजा	सभी समुदाय/ श्रेणी के लिए
18 से 33	02.07.1986	02.07.1983	02.07.1981	01.07.2001

टिप्पणी:

- उपरोक्त तालिका में अजा, अजजा और अपिव-एनसीएल के लिए दिए जन्मतिथि की सीमा में समुदाय आयु छूट शामिल है।
- पैरा 5.5 पर दिए तालिका में उल्लिखित समुदाय/ श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार यथा लागू आयु में छूट के पात्र होंगे।

- 5.5 तथापि, ऊपरी / अधिकतम आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों/ समुदायों को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर छूट प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	समुदाय/ श्रेणी	स्नातक स्तरीय पदों के लिए ऊपरी आयु में छूट (या) अधिकतम आयु	
1	अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)	3 वर्ष	
2	अनुसूचित जाति / जनजाति	5 वर्ष	
3	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माह से अधिक की सेवा की है	अना	33 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	36 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		अजा/ अजजा	38 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
4	बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	अना	10 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	13 वर्ष
		अजा/ अजजा	15 वर्ष
5	वह उम्मीदवार जो 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान मूलतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सामान्य निवासी रहा है	अना	38 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	41 वर्ष
		अजा/ अजजा	43 वर्ष
6	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' में कार्यरत हैं, रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर अथवा खंडित भागों में) के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं	अना	40 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	43 वर्ष
		अजा/ अजजा	45 वर्ष

7	रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे, रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनिस्टिट्यूट में काम करने वाले उम्मीदवार	अना	33 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	36 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		अजा/ अजजा	38 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
8	विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली, लेकिन दुबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार	अना	35 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	38 वर्ष
		अजा/ अजजा	40 वर्ष

5.6 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए आयु छूट लागू नहीं होगी।

5.7 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को वही आयु छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लागू है।

5.8 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह अधिकतम आयु में छूट प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह योग्य है।

5.9 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उसके मैट्रिक / एसएसएलसी / दसवीं अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.0 शैक्षणिक योग्यताएँ :

इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के **अनुलग्नक-क** में दर्शाए गए अधिसूचित पदों के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। उन उम्मीदवारों को **आवेदन नहीं करना चाहिए**, जिनका निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।

7.0 परीक्षा शुल्क :

इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा :-

क्र. सं.	उम्मीदवार का समुदाय	शुल्क
1	नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लिए रु. 500/- रुपए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 500/- में से रु.400/- की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी।	रु. 500/-
2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांग व्यक्ति/ महिलाएँ/ ट्रांसजेंडर/ अल्पसंख्यक/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 250/- में लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी।	रु. 250/-

7.1 शुल्क के भुगतान का माध्यम :

- क. डेबिट/ क्रेडिट कार्ड का उपयोग या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से शुल्क का ऑनलाइन भुगतान।
- ख. निम्नलिखित माध्यम से शुल्क का ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है :-
- भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से।
 - किसी भी कंप्यूटरीकृत डाक घर में पोस्ट ऑफिस चालान भुगतान के माध्यम से।

7.2 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय :

ऐसे उम्मीदवार, जो दिनांक 31.03.2019 के 23.59 बजे तक पंजीकरण किए हैं, उन्हें ऑफलाइन भुगतान दिनांक 05.04.2019 के 15.00 बजे तक तथा ऑनलाइन भुगतान दिनांक 05.04.2019 के 23.59 बजे तक करने की अनुमति है। भुगतान के पश्चात्, ऐसे उम्मीदवार दिनांक 12.04.2019 के 23.59 बजे तक या उससे पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा शुल्क भुगतान के लिये प्रत्येक लागू सेवा प्रभागों का वहन किया जाएगा। शुल्क का भुगतान उपर्युक्तानुसार ऑफलाइन विधि अर्थात् पैरा 7.1 (ख) 1 एवं 2 के अनुसार किए जाने की स्थिति में रसीद संभालकर रखी जानी चाहिए। यह रसीद दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान माँगे जाने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- 7.3 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना की अंतिम तिथि तक किसी प्रकार का संशोधन/ विलोपन/ संवर्धन प्राप्त होने की शर्त पर अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रियन (पारसी) शामिल होंगे।

परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वे उपर्युक्त में से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 7.4 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे होते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम हो। ऐसे उम्मीदवारों के पास आवेदन की तिथि को निर्धारित प्रारूप में अथवा आवेदन जमा करने के पहले जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर जारी वैध आय प्रमाणपत्र होना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जमा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बीपीएल कार्ड तथा इज़्जत एमएसटी धारक उम्मीदवार भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शुल्क में रियायत पाने के पात्र होंगे। शुल्क में रियायत का दावा करने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रासंगिक प्रमाणपत्र / कार्ड संख्या, जारी तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, स्थान तथा जारीकर्ता राज्य संबंधित जानकारी भरनी चाहिए।

- 7.5 प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई) के मामले में इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (रु.400/- या रु. 250/- जैसा लागू हो) उसी खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, जिस खाते से उन्होंने भुगतान किया है या वे बैकल्पिक रूप से लाभार्थी का खाता प्रदान करते हैं, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान किया है। परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा, लागू बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के पश्चात् वापस किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई चालान या पोस्ट ऑफिस चालान मोड के माध्यम से भुगतान किया है, उन्हें लाभार्थी

खाते का विवरण अर्थात लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना चाहिए, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं। सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की है और रेलवे भर्ती बोर्ड इस संबंध में उम्मीदवार से कोई पत्राचार नहीं करेगा।

7.6 जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण :

8.1 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) – गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा विद्यमान नियमों के तहत माँगकर्ता रेलवे द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारणीय होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति केवल संबद्ध समुदायों के उम्मीदवारों के संबंध में ही विचार किया जाएगा।

8.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय **अनुलग्नक-I** (अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए) तथा **अनुलग्नक-II** (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, दिनांक 13.09.2017 एवं इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबद्ध नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी संबद्धता अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, समुदाय प्रमाणपत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा **अनुलग्नक IIए** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर से संबद्ध नहीं हैं। प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र, दस्तावेज़ सत्यापन के समय एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन/ उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

8.4 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण :

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग -एनसीएल आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय ₹ 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में की जाए, ताकि उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिल सके। आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनका पारिवारिक आय कुछ भी हो :

- i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट ;
- iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
- iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न-भिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाए।

उक्त उद्देश्य के लिए शब्द "परिवार" में शामिल होंगे - आरक्षण की माँग करने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और इसके साथ - साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल **अनुलग्नक III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा:

- क) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
- ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
- ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों तथा
- घ) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है ।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना हेतु आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए । तदनुसार, उनको प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, जारी करने वाले जिला और राज्य को ऑनलाइन आवेदन में भरना है । इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन पर केवल

सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत ही विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

- 8.5 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में अनारक्षित रिक्तियों के प्रति भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

तथापि उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी तथा अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करते समय, उन्हें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के लिए लागू आयु सीमा छूट सहित अन्य कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, फिर भी ऐसे उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना चाहिए।

- 8.6 केंद्रीकृत रोज़गार सूचना जारी किए जाने की अंतिम तिथि तक ही समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति के संबंध में आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए पात्र होने की स्थिति में विचार किया जाएगा तथा उम्मीदवार के समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण :

- 9.1 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

- 9.2 भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जहाँ कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है, वह अलग नहीं है तथा रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल की गई है।

- 9.3 जहाँ कहीं भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियाँ अलग-अलग समुदायवार आवंटन के बिना दिखाई जाती हैं, वे रिक्तियाँ अलग हैं और नियमित रिक्तियों का हिस्सा नहीं हैं।

- 9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित है।

- 9.5 दिव्यांग उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं हैं, परंतु पद उनकी दिव्यांगता के दृष्टिकोण से अवश्य उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि दिव्यांग के लिए निर्धारित है।

- 9.6 दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त कारण से नहीं भरा गया, तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियाँ के तहत उन्हें अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

यद्यपि केंद्रीकृत सूचना में बताए बैक लॉग रिक्तियों के तहत सूचित पदों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भरा जाएगा जिन के लिए उपयुक्त है। कोई दिव्यांग उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में जिनके लिए पद उपयुक्त है उन पदों को मैरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवारों (जो दिव्यांग नहीं हो) द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) :

- 10.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है, परंतु

इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा वाहनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है। तथा

- क. वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त, सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)
- ख. ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)
- ग. जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया है, (अथवा)
- घ. जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर या जो उसके अनुरोध पर अथवा बर्खास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान किया गया है, तथा जिसमें प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; (अथवा)
- ङ. सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है; (अथवा)
- च. वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14.04.1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)
- छ. प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले; (अथवा)
- ज. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपने सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोज़गार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक की वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें।

तदनुसार, ऐसे सेवारत सुरक्षा कर्मी, जो केंद्रीय रोज़गार सूचना की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (दिनांक 31.03.2020 या उससे पूर्व) के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि ऐसे उम्मीदवारों के पास केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 31.03.2019 को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

10.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' में भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले कर असैनिक रोज़गार पहले ही प्राप्त कर लिए हैं (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय/ राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) को केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत ग/ घ के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में असैनिक रोज़गार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।

10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोज़गार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएँगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबध में घोषणा/ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने कि स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.5 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा (आईआरएमएम) के खंड-1 के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailways.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण :

11.1 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पद के लिए उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता प्रत्येक पद के सामने अनु दिव्यांगता विवरण सहित 'मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता' कॉलम के अंतर्गत, पद मापदंड सारणी (अनुलग्नक-ए) में दर्शाए गए हैं।

मानक दिव्यांगता :- दिव्यांगत व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के अनुसार (दिनांक 19.04.2017 से लागू) मानक दिव्यांगता निम्नानुसार हैं :-

- (क) नेत्रहीन और पूर्ण दृश्यता न होना ;
- (ख) बधिर और कम सुनाई देना ;
- (ग) गति अक्षमता जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुछ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड फेंके जाने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं ;
- (घ) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक अस्वस्थता ;
- (ड.) प्रत्येक अक्षमता के लिए निश्चित पदों हेतु बधिर-नेत्रहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु अक्षमताएँ।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा निम्नानुसार है :-

11.2 विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा :-

1. शारीरिक अक्षमता :-

(क) गति अक्षमता (स्वयं को और वस्तुओं को गति प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट क्रियाओं को कर सकने में किसी व्यक्ति की अक्षमता है, जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की स्थिति हो या दोनों हों), जिसमें :-

- (क) "कुछ रोग से स्वस्थ व्यक्ति" - अर्थात जो कुछ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है :-
 - (i) बिना किसी स्पष्ट विकृति के हाथों एवं पैरों में चेतना की कमी के साथ आँख और पलकों में पक्षाघात ;
 - (ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता, जिससे सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों ;

- (iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ बढ़ती आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय लेने से रोके और "कुष्ठ रोग से स्वस्थ" होने के अनुसार भर्ती किया जाए।
- (ख) "प्रमस्तिक पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)" का अर्थ, किसी व्यक्ति का जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल के विकास के दौरान मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर विकासशील अवस्थाओं के रूप में किया जा सकता है।
- (ग) "बौनापन"- अर्थात् चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति है, परिणामस्वरूप व्यस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 ईंच (147 सेंटीमीटर) या कम होती है ;
- (घ) "मांसपेशीय दुर्विकास" - अर्थात् वंशानुगत अनुवांशिक मांसपेशी बीमारी का समूह है, जो मानव शरीर के मांसपेशी को कमजोर करता है और व्यक्तियों में बहु दुर्विकास के साथ जीन में गलत और कम जानकारी रहती है, जो जीन में स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। अस्थि-पंजर संबंधी मांसपेशी की कमजोरी को बढ़ाना, मांसपेशी प्रोटीन में कमी और कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु इसके लक्षण हैं।
- (ङ.) "एसिड हमले का शिकार" – अर्थात् एसिड या उसी प्रकार के संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण से विकृत व्यक्ति है।

ख) दृष्टि क्षीणता –

(क) दृष्टिहीनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-

(i) दृश्यता का पूरी तरह से अभाव ; या

(ii) बेहतर आँख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलन) से कम हो; या

(iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री या इससे कम कोण पर होना।

(ख) "कम दृश्यता" का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है :-

(i) बेहतर आँख की दृश्यता, उचित लेंसों के साथ 6/18 अथवा 20/60 से 3/60 तक या 10/200 स्नेलन से अधिक न हो ; या

(ii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक कम होना।

(ग) श्रवण क्षति—

(क) "बधिर" का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 70 डीबी बहरापन है।

(ख) 'कम सुनना' अर्थात् वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी बहरापन है।

(घ) (1) 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें गला संबंधी (लार्यनजेक्टोमी) या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या स्नायविक कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

(2) बौद्धिक अक्षमता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कामकाज (तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकूल व्यवहार, जिसमें प्रतिदिन के कामकाज में सामाजिक व व्यवहारिक कुशलता शामिल है, दोनों में ही महत्वपूर्ण कमी के लक्षण दिखते हैं।

(क) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" अर्थात् विषम परिस्थितियों का वह समूह जिसमें भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में या गणित गणना करने में कठिनाई होती है और जिसमें अवधारणात्मक अक्षमता, वाक् विकार, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, दुष्क्रिया और विकासात्मक स्वरलोप इत्यादि जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं।

(ख) "स्वलीनता विस्तार विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर)" अर्थात् स्नायु विकासात्मक स्थिति है, जो जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूसरे से संबंध बनाने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है और यह हमेशा असामान्य या रूढ़िबद्ध संस्कार या व्यवहारों के साथ जुड़ा होता है।

(3) मानसिक व्यवहार --

"मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, झुकाव या स्मरण शक्ति में पर्याप्त विकार, जिसमें निर्णय क्षमता अति प्रभावित रहती है, जिसके कारण व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित रहती है, परंतु जिसमें मंदता शामिल नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, जिसका विशेष लक्षण बुद्धि की उप सामान्यता है।

(4) अक्षमता निम्न के कारण हुआ --

क) पुरानी स्नायविक स्थिति, जैसे-

i) "बहु काठिन्य (मल्टीपल स्क्लेरोसिस) " मतलब सृजनयुक्त तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें दिमाग के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर फैले हुए माइलिन आवरण तथा रीढ़ की हड्डियों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण माइलिन रहित तथा दिमाग के तंत्रिका ऊतकों और रीढ़ की हड्डियों के एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने वाली स्थिति बनती है;

ii) " पार्किंसंस रोग" का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी से है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों का अकड़ जाना, धीमी और अनिश्चित गति हैं, जो अर्धे उम्र तथा बूढ़े लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है, जिसमें दिमाग के बेसल गैंग्लिया की अवनति तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है।

ख) रक्त विकार --

i) "हीमोफीलिया" एक अंतर्निहित बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुत्रों को संप्रेषित हो जाती है, जिसमें खून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे बच्चों में घातक रक्तस्राव होने लगता है ;

ii) "थैलेसीमिया" एक ऐसी अंतर्निहित रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।

iii) "सिकल सेल रोग" एक रक्तलायी विकार है, जिसमें ऊतकों तथा अवयवों को नुकसान पहुँचने के कारण क्रोनिक एनीमिया, दर्द तथा कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, "हेमोलिटिक" बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली को क्षति पहुँचने के कारण हीमोग्लोबिन का निस्तार होता है।

(5) बहु अक्षमताएँ (जिसमें ऊपर बताई गई विशेष बीमारियों में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने तथा देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण संपर्क, विकास तथा शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

(6) अन्य कोई कोटि, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

11.3 आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : केवल वही व्यक्ति अपने संबंधित समुदाय में सेवाओं/ पदों के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित अक्षमता का प्रतिशत 40% से कम नहीं है। छूट और/ या आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 15.06.2017 के अक्षमता नियम के साथ अक्षमता के अधिकारों के

अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18 (1) के फार्म V, VI और VII के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के समय अक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए अनुलग्नक V(ए), अनुलग्नक V(बी) और अनुलग्नक V(सी) को देखें। अक्षमता के अधिकारों के अधिनियम 1995 के अंतर्गत जारी वर्तमान अक्षमता प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

11.4 **लेखक (स्क्राइब) की सहायता :** ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जिनकी लेखन की गति प्रमस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रभावित है/ एक हाथ वाले उम्मीदवार/ मांसपेशियों की कमजोरी वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को इससे संबंधित उल्लेख ऑनलाइन फार्म में करना चाहिए। स्क्राइब की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों पर प्राप्त की जा सकती है :-

क) उम्मीदवार को अपने लिए स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

ख) स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।

ग) जिस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब की सहायता प्राप्त की गई है उस अधिसूचना के अंतर्गत स्क्राइब स्वयं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। किसी एक स्क्राइब की सेवाएँ एक से अधिक उम्मीदवारों के द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। इस संबंध में स्क्राइब और उम्मीदवार को घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इसके प्रति किए गए उल्लंघन की जानकारी किसी स्तर पर होने की स्थिति में स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को अयोग्य माना जाएगा।

घ) स्क्राइब की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब के संबंध में अनुलग्नक V(डी) के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड ई-बुलावा पत्र जारी कर सके और उस पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। स्क्राइब को कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र पर मूल वैध पहचान-पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो लाना होगा।

ड) उम्मीदवार के साथ में आने वाले स्क्राइब के लिए अलग से ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा।

च) परीक्षा के दौरान स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्क्राइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।

छ) स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।

(ज) वे उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, किंतु ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, वे सीबीटी केंद्र पर अनुलग्नक V (डी) में दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर, स्क्राइब के लिए निर्धारित शर्तों का विधिवत अनुपालन करते हुए स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपात स्थितियों में भी स्क्राइब के परिवर्तन की अनुमति, आपात कारणों को विधिवत दर्ज करने, संबंधित विवरणों को भरने और अनुलग्नक V (डी) के अनुसार नए स्क्राइब की फोटो चिपकाने के उपरांत दी जा सकती है।

11.5 एक आँख वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

11.6 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय

रेलवे चिकित्सा मैनुअल तथा अन्य लागू प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानकों पर खरे उतरेंगे।

- 11.7 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियाँ आरक्षित होने की स्थिति में जब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति - गैर क्रीमी लेयर की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंकों की योग्यता के प्रतिशत से युक्त पैनल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी।

आरक्षण/ छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष टिप्पणी :

ऐसे सभी उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति - गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण/ छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केंद्रीकृत रोजगार सूचना में निर्दिष्ट पात्रता के अनुसार आरक्षण/ छूट प्राप्त करने की अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने दावे के समर्थन में केंद्रीकृत रोजगार सूचना/ नियम में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज़ अपने साथ लाना चाहिए।

12.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) :

- 12.1 रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/ परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 12.2 उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने/ परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/ उम्मीदवारी को रद्द/ अस्वीकार किया जा सकता है।

13.0 भर्ती प्रक्रिया :

उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन (चयनित आरआरबी में सभी अधिसूचित पदों के लिए समान) प्रस्तुत करना है। भर्ती की प्रक्रिया में प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टंकण कौशल परीक्षा/कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (यथा लागू) और दस्तावेज़ सत्यापन/ चिकित्सा परीक्षा शामिल हैं। चयन अचूक रूप से मैरिट के अनुसार, उपर्युक्त भर्ती चरणों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टंकण कौशल परीक्षा/कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा या यथा लागू अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि, समय तथा स्थान का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसकी सूचना उम्मीदवारों को विधिवत् दी जाएगी। उक्त में से किसी भी क्रियाकलाप का स्थगन, स्थान तिथि तथा पारी में परिवर्तन में बदलाव से संबंधित अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 13.1. प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (इस सीईएन के सभी अधिसूचित पदों के लिए एक समान) :

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	40	30	30	100

स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले योग्य पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि 120 मिनट होगी।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रथम चरण (छटाई) स्क्रीनिंग प्रकार का होता है तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा। प्रथम चरण सीबीटी के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग उम्मीदवार के मेरिट के आधार पर उन्हें द्वितीय चरण के लिए चयन करने में किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए चयन किया गया हो, जो अपिव (एनसीएल)/ अजा/ अजजा/ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक की कोटि में आरक्षण सुविधाओं का लाभ पा रहे हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले सभी चरणों में उस समुदाय के अंतर्गत ही माना जाएगा।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं :

क गणित :

अंक प्रणाली, बाँडमस, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

ख सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ा पर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

ग सामान्य जागरूकता :

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित - 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति - 30 %, अनुसूचित जनजाति -25%। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में दिव्यांग उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2% की छूट प्रदान की जाएगी।

13.2. द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा :

7वें केंद्रीय वेतन आयोग स्तर अर्थात स्तर 2, 3, 4, 5 तथा 6 के लिए वर्गीकृत कठिनाई स्तर की अलग-अलग द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले समान स्तर के सभी पदों के लिए एक सामान्य द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। अगर उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता के आधार पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पदों के एक से ज्यादा स्तर के लिए पात्र हैं तो उन्हें सामान्य प्रथम चरण के परीक्षा के उपरांत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रत्येक समान स्तर के पद / पदों जैसा कि 13.6 पैरा तालिका में दिया गया है, के लिए द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा के प्रथम चरण में प्राप्त सामान्यीकृत अंक तथा शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10+2 या स्नातक को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न पदों के लिए विकल्प के आधार पर द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रथम चरण में प्राप्त उनके मेरिट सह पदों के विकल्प के अनुसार, रेलवे भर्ती बोर्ड के विरुद्ध अधिसूचित समुदायवार रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना होगी। तथापि, कुल या किसी विनिर्दिष्ट कोटि में सभी अधिसूचित पदों के लिए आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा को बढ़ाने/ घटाने का अधिकार रेलों को है।

द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए परीक्षा अवधि तथा प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है :

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	50	35	35	120

स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले योग्य पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि 120 मिनट होगी।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा प्रथम चरण सीबीटी तथा द्वितीय चरण सीबीटी दोनों के लिए निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं :

क गणित :

अंक प्रणाली, बॉडमस, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

ख सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ा पर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

ग सामान्य जागरूकता :

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं

सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित - 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति - 30 %, अनुसूचित जनजाति -25%। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में दिव्यांग उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2% की छूट प्रदान की जाएगी।

जिन पदों में टंकण परीक्षा / कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा निर्धारित नहीं है, उनके लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों का चयन द्वितीय स्तर के कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर कि जाएगी। जिन पदों में टंकण परीक्षा / कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा निर्धारित है, उनके लिए उम्मीदवारों का चयन द्वितीय स्तर के कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

13.3 कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी) (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने यातायात सहायक और स्टेशन मास्टर का विकल्प चुना है)

अर्हक अंक : उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम 42 अंकों का टी-स्कोर प्राप्त करना होगा। यह समुदाय या श्रेणी अर्थात् अना, अपिव-एनसीएल, अजा, अजजा तथा ईडब्ल्यूएस/बैंचमार्क दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद सभी उम्मीदवारों के लिए लागू होता है तथा न्यूनतम टी-स्कोर में कोई छूट स्वीकार्य नहीं है।

ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के पदों के लिए विकल्प का चयन किया है, उन उम्मीदवारों के द्वितीय चरण सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक समुदाय अर्थात् अना, अपिव-एनसीएल, अजा, अजजा तथा ईडब्ल्यूएस/ भूतपूर्व सैनिक सहित के लिए स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के रिक्त पदों की संख्या के 8 गुना के बराबर उम्मीदवार लघु सूचीबद्ध होंगे। ऐसे चयन किए गए उम्मीदवारों को सीबीएटी के दौरान मूल प्रारूप में **अनुबंध VI** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में दृष्टि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, इसमें विफल होने की स्थिति में उन्हें सीबीएटी में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के पद पर विचार करने के लिए उम्मीदवारों को सीबीएटी की प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अर्हता प्राप्त करनी होगी। सीबीएटी में केवल अँग्रेज़ी और हिंदी में प्रश्न और उत्तर के विकल्प होंगे। सीबीएटी में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक मेरिट सूची केवल सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की बनाई जाएगी, जिसमें द्वितीय चरण सीबीटी में प्राप्त अंकों के लिए 70% महत्व (वेटेज) और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% महत्व (वेटेज) होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों के नमूनों तथा सीबीएटी के अन्य विवरणों के लिए वे आरडीएसओ की वेबसाइट (www.rdso.indianrailways.gov.in -> निदेशालय-> साइको तकनीकी निदेशालय -> अभिक्षमता परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों) पर जाएँ।

13.4 टंकण कौशल परीक्षा :

वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा लिपिक सह टंकक, वरिष्ठ समयपाल, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा सहायक सह टंकक, कनिष्ठ समयपाल के पदों के लिए अर्हक प्रकृति की टंकण कौशल परीक्षा (टंकण कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक मेरिट बनाने के लिए नहीं जोड़े जाएंगे) आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक समुदाय के लिए रिक्तियों की संख्या के आठ गुना के बराबर उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को केवल पर्सनल कंप्यूटर पर संपादन उपकरण और वर्तनी जाँच सुविधा के बिना अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने में सक्षम होना चाहिए। हिंदी में टंकण कौशल परीक्षा के लिए आने वालों के दिशानिर्देशों के लिए कृति देव और मंगल फ्रॉन्ट को पर्सनल कंप्यूटर पर टंकण कौशल परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टंकण कौशल परीक्षा में छूट उन उम्मीदवारों को दी जा सकती है जो नेत्रहीनता / कम दृष्टि, सेरेब्रल पालसी और लोकोमोटर अक्षमता के कारण स्थायी रूप से अक्षम है और 40% से कम स्थायी अक्षमता नहीं है। ऐसे अक्षम उम्मीदवार को सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा, प्रपत्र अनुलग्नक V(E) में जारी टंकण कौशल परीक्षा छूट प्रमाणपत्र का स्कैन किया हुआ प्रति टंकण कौशल परीक्षा के आयोजन के पहले संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करनी है। केवल टंकण कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त और टंकण कौशल परीक्षा में छूट प्राप्त पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों का द्वितीय चरण सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी।

13.5 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) :

द्वितीय चरण सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तथा द्वितीय चरण एवं सीबीटी और सीबीटी / टीएसटी (जैसा कि लागू होता है) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की संख्या के 50% (आरआरबी के निर्णय के आधार पर वृद्धि या कमी हो सकती है) के बराबर उम्मीदवारों को भी दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

तथापि इन अतिरिक्त उम्मीदवारों को तभी पैनल में रखने के लिए माना जाएगा, जब योग्यता सूची में / या कार्यकारी पद पर अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण कमी के विरुद्ध प्रतिस्थापन हो और / या कोई अन्य विशेष आवश्यकता हो। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक हासिल करने के मामले में, उनकी योग्यता की स्थिति आयु मानदंड से निर्धारित की जाएगी, अर्थात् उम्र में बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो बराबरी की स्थिति को दूर करने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (A से Z) को ध्यान में रखा जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जा रही अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने, शैक्षणिक और समुदाय संबंधी प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त / चरित्र के सत्यापन के अधीन है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करते हैं और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासनों द्वारा की जाती है।

13.6 अधिसूचित पदों के लिए ऊपर दी गई भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सारांश नीचे सारणीबद्ध है :

क्र. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	प्रथम चरण सीबीटी	द्वितीय चरण सीबीटी	अपेक्षित कौशल परीक्षा
1	कनिष्ठ लिपिक सह टंकक	2		स्तर 2 के सभी पदों के लिए समान	टंकण कौशल परीक्षा
2	लेखा लिपिक सह टंकक	2			टंकण कौशल परीक्षा
3	कनिष्ठ समयपाल	2			टंकण कौशल परीक्षा
4	ट्रेन लिपिक	2			-----
5	वाणिज्य कम टिकट लिपिक	3		स्तर 3 के पद के लिए अलग	-----
6	यातायात सहायक	4		स्तर 4 के पद के लिए अलग	कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा

क्र. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	प्रथम चरण सीबीटी	द्वितीय चरण सीबीटी	अपेक्षित कौशल परीक्षा
7	गुड्स गार्ड	5	सभी पदों के लिए समान	स्तर 5 के सभी पदों के लिए समान	-----
8	वरिष्ठ वाणिज्य कम टिकट लिपिक	5			-----
9	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	5			टंकण कौशल परीक्षा
10	कनिष्ठ लेखा लिपिक सह टंकक	5			टंकण कौशल परीक्षा
11	वरिष्ठ समयपाल	5			टंकण कौशल परीक्षा
12	वाणिज्य प्रशिक्षु	6			-----
13	स्टेशन मास्टर	6	स्तर 6 के सभी पदों के लिए समान	कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा	

टिप्पणी : उपरोक्त सभी पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होगी।

14.0 अंकों का सामान्यीकरण :

जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किया जाता है, तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर होगी। प्रथम चरण सीबीटी और द्वितीय चरण सीबीटी अपनाई गई सामान्यीकरण विधि का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में है।

14.1 बहु-सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना :

प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा और द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुछ परीक्षा समूहों के लिए बहु सत्रों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, अतः इन बहु सत्र पेपरों के लिए विभिन्न सत्रों में प्रश्न पत्रों के कठिन स्तरों में हुए किसी भी परिवर्तन को समाविष्ट करने के लिए एक उपयुक्त सामान्यीकरण लागू किया जाएगा।

बहु सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना हेतु सूत्र नीचे दिया गया है :

i th सत्र में j th उम्मीदवार का सामान्यीकृत अंक \bar{M}_{ij} द्वारा दिया जाता है :

$$\bar{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{M_{ii} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} : i th सत्र में j th उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक।

\bar{M}_i^g : सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक हैं।

M_q^g : सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए पेपर में उम्मीदवारों के माध्य और मानक विचलन अंकों का जोड़ है।

M_{ii} : i th सत्र में टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक या यदि सत्र की संख्या 1000 से कम हो, तो टॉपों के अंक हैं।

M_{iq} : i th सत्र के माध्य अंक और मानक विचलन का जोड़ है।

15.0 आवेदन कैसे करें :

क) उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित पदों के लिए पैरा 20.0 पर सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ख) रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर इस सीईएन के लिंक पर क्लिक करके आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई सभी सूचनाएँ और निर्देश पूरी तरह से पढ़ें। यह आवश्यक है कि उम्मीदवार आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए अधिसूचना की सारी सूचना को अच्छी तरह से समझ लें।

- ग) आवेदन भरने से पहले जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेज़ तैयार रखें
उम्मीदवार को शीघ्रता से आवेदन भरने के लिए आवेदन वाले पेज पर लॉग इन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ डिजिटल फार्म में तैयार रखना चाहिए :-
- उम्मीदवार का रंगीन फ़ोटो : 20 केबी से 50 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया फ़ोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1(0) (3) देखें।
 - उम्मीदवार का हस्ताक्षर : 10 केबी से 40 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया हस्ताक्षर के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1 (0) (4) एवं (5) देखें।
 - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (केवल निःशुल्क यात्रा पास माँगने वाले उम्मीदवारों के लिए) :
50 केबी से 100 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया अजा/अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करने के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1 (P) देखें)।
 - स्क्राइब फ़ोटो (जहाँ लागू हो) : 20 केबी से 50 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया फ़ोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1 (0) (3) देखें।
- घ) उम्मीदवार की योग्यता और आरक्षण कोटि के लिए रेलवे भर्ती बोर्डवार रिक्तियों की जाँच करें :
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी योग्यता (डिग्री/ डिप्लोमा) के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अधिसूचित रिक्तियों का पता लगाने के लिए इस सीईएन में पद मापदंड तालिका और रिक्ति तालिका की जाँच करें और यह सुनिश्चित करें कि जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में वे ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं, वहाँ, उनके अनुशासन और समुदाय/ श्रेणी के लिए उम्र और चिकित्सा मानकों के संदर्भ में पात्रता के अंतर्गत, रिक्ति हो।
- ड) पद मानदंड और रेलवे भर्ती बोर्डवार रिक्तियों को शीघ्र उनकी पात्रता के अनुसार पहचानने के लिए पद मानदंड तालिका और रिक्ति तालिका के लिए टैब पर क्लिक करें और निम्नानुसार करें :
- पद मानदंड तालिका :- पद मानदंड तालिका के ऊपर क्लिक करें। पद मानदंड तालिका से उम्मीदवार पद (पदों) का पता लगा सकते हैं कि वे समुदाय, योग्यता एवं श्रेणी जैसे पीडब्ल्यूबीडी तथा आवश्यक चिकित्सा मानक इत्यादि के अनुसार किसके लिए पात्र हैं।
 - रिक्ति तालिका : अपनी पात्रता के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित सभी पदों की रिक्ति का व्यापक विवरण का पता लगाने के लिए उम्मीदवार सर्च मेनू से रेलवे भर्ती बोर्ड की ड्रॉप डाउन सूची से रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन कर सकते हैं और पात्रता मापदंडों का चयन करते हुए उस रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी विभिन्न रेलवे/ इकाइयों के अधिसूचित पदों की सभी रिक्तियों को देख सकते हैं।
 - रिक्ति तालिका की जाँच करने के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता और समुदाय/ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी/ पूर्व सैनिक कोटि के लिए विद्यमान रिक्तियों को विधिवत् सुनिश्चित करते हुए उस रेलवे भर्ती बोर्ड को तय कर सकते हैं, जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं।
 - एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन हो जाने के पश्चात् प्रारंभिक पंजीकरण पूरा हो जाता है और पंजीकरण संख्या आवंटित कर दी जाती है, इसके पश्चात् किसी भी परिस्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड को बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- च) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन को ध्यान से भरने के लिए दिए गए लिंक पर जाने की आवश्यकता है और व्यक्तिगत विवरण/ बायो-डेटा, शुल्क आदि को ध्यानपूर्वक जमा करना है। उन्हें पद, रेलवे/ उत्पादन इकाई के लिए अपने विकल्प/ वरीयता का प्रयोग करने की भी आवश्यकता होगी।
- छ) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें :

- इस सीईएन में कई पदों और अन्य आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवारों को अपनी पदवार और रेलवे/ उत्पादन इकाईवार वरीयताओं को बहुत सावधानी से दर्शाना आवश्यक है। एक बार ऑनलाइन आवेदन में प्रयोग किए गए विकल्प अंतिम होंगे और परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद और रेलवे/ उत्पादन इकाई के लिए विकल्प के प्रयोग में सावधानी बरतें। रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को योग्यता और रिक्ति की स्थिति पद के विकल्पों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को पद और रेलवे/ उत्पादन इकाई आवंटित करेंगे। तथापि, प्रशासनिक अनिवार्यताओं/ आवश्यकताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी पद/ रेलवे को उम्मीदवार (रों) की उपयुक्तता के लिए आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट कोटियों के लिए माना जाएगा, क्योंकि कुछ कोटियों या सभी कोटियों के लिए गैर विकल्प उसके लिए उनकी अनिच्छा को प्रदर्शित करेगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी को सक्रिय रखें, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड से सभी सूचनाएँ केवल एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएँगी। रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ भर्ती प्रक्रिया/ पत्राचार के आगे के चरणों के लिए अपना पंजीकरण संख्या नोट करके एवं संभालकर रखें।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस सीईएन के बारे में किसी भी परिवर्तन की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए बारंबार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवारों को वैध दस्तावेजों के साथ यह प्रमाणित करना है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है।

15.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण :

उपर्युक्त पैरा 15.0 क, ख, ग व घ की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करें :

- क) 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें।
- ख) उस रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करें, जहाँ आप आवेदन करना चाहते हैं। कृपया ध्यान रखें कि प्रारंभिक पंजीकरण पूर्ण होने और पंजीकरण संख्या आवंटित होने के बाद एक बार चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड को बदला नहीं जा सकता है।
- ग) चेक बॉक्स पर क्लिक करके पुष्टि करें कि आपने निर्देश स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ लिया है।
- घ) पंजीकरण विवरण : सामान्य निर्देश के पैरा 1.7 के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम, माता का नाम, आधार संख्या, एसएसएलसी / मैट्रिक / आईटीआई रोल नंबर, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मोबाइल नंबर और ई-मेल-आईडी दर्ज करें और तत्पश्चात् पंजीकरण के लिए जमा करें। पंजीकरण के लिए जमा करने से पहले, सुनिश्चित और पुष्टि करें कि उपर्युक्त दी गई सभी जानकारी सही हैं, क्योंकि पंजीकरण के लिए दिया गया विवरण बाद में नहीं बदला जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण के लिए उपयोग की गई ई-मेल आईडी स्वयं आपकी और अनन्य होनी चाहिए। यह भी ध्यान दें कि ई-मेल और मोबाइल नंबर दोनों को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान सत्यापित किया जाएगा।
- ङ) ओटीपी के माध्यम से ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का सत्यापन : प्राथमिक विवरण प्रस्तुत करने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एक्टिवेशन लिंक के माध्यम से उम्मीदवार को ई-मेल और मोबाइल से ओटीपी प्राप्त करना होगा और फिर आवेदन भरने

और भुगतान करने के लिए ओटीपी दर्ज करना होगा। ओटीपी एक्टिवेशन के सफल सक्रियण पर पंजीकरण संख्या उत्तपन्न की जाएगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजा जाएगा।

उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान आगे के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण संख्या को नोट करें और संभाल कर रखें और पंजीकरण संख्या की मांग के लिए किसी भी अनुरोध पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेगा।

च) उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके होम पेज पर "कैंडिडेट लॉगइन" बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

छ) शैक्षणिक योग्यता, समुदाय, लिंग, धर्म, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आयु में छूट श्रेणी के विवरण, जो भी लागू हों और अन्य विवरण आवेदन पृष्ठ के भाग 1 में दें।

ज) आवेदन पृष्ठ के भाग II में उम्मीदवार को पद की प्राथमिकता / वरियता का विवरण भरना है :

पदों के लिए प्राथमिकता/ पसंद निर्धारित करें : यदि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरणों के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए पात्र है, तो उसे इन पदों के लिए प्राथमिकता / वरियता निर्धारित करनी होगी। पदों की सूची (चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में) जिसके लिए एक उम्मीदवार पात्र है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह यदि चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में एक से अधिक रेलवे/ उत्पादन इकाई के लिए रिक्तियाँ हैं, तो ऐसी सभी रेलवे/ उत्पादन इकाइयों के लिए रिक्तियाँ, जिनके लिए उम्मीदवार पात्र है, को सूचीबद्ध किया जाएगा। जिस रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं, उसके जिन पदों के लिए वे पात्र हैं, उसके प्रत्येक पद के लिए टेक्स्ट बॉक्स में अपनी प्राथमिकता/ पसंद संख्या को भरना होगा।

झ) **भुगतान और बैंक खाता विवरण :**

i) उपर्युक्त अनुसार आवेदन विवरण पूरा होने पर उम्मीदवार को पैरा 7 में बताए गए अनुसार भुगतान विधि अर्थात बैंक (ऑनलाइन नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ यूपीआई और ऑफलाइन चालान) या पोस्ट ऑफिस चालान चुनने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। भुगतान की विधि का चयन करें और भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। अगर ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो उम्मीदवार को दूसरी बार भुगतान करना है। कृपया भुगतान की प्रत्येक विधि के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय को नोट करें और समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।

ii) बैंक-ऑफलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करने वालों को भुगतान की पुष्टि में 2 घंटे लग सकते हैं और इसलिए उन्हें 2 घंटे बाद भुगतान की स्थिति की पुष्टि करने के लिए फिर से लॉग इन करना होगा।

iii) डाकघर के भुगतान के मामले में भुगतान की पुष्टि की समय अवधि 24 घंटे से 48 घंटे तक होगी।

ज) **पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब :** यदि आप पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं तथा स्क्राइब के लिए पात्र हैं, तो स्क्राइब के लिए विकल्प चुनें। केवल नेत्रहीनों (VI) उम्मीदवार या जिन उम्मीदवारों की लेखन की गति सेरेब्रल पाल्सी/ पेशी अपविकास/ लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/ बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी) से पीड़ित होने के कारण प्रभावित है, वे इस सीईएन में स्क्राइब का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। यदि आपने स्क्राइब तय कर लिया है, तो उस स्क्राइब का विवरण दर्ज करें, जैसे नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि। स्क्राइब के रूप में जिस व्यक्ति की व्यवस्था की गई है, वह स्वयं उस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तथा वही स्क्राइब एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए संलग्न नहीं होना चाहिए।

- ट) **विस्तृत शैक्षणिक योग्यता** : आवेदन में आवश्यक योग्यता संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करें।
- ठ) **परीक्षा भाषा का चयन** : अंग्रेज़ी डिफ़ॉल्ट भाषा है। यदि उम्मीदवार किसी अन्य भाषा को चुनना चाहता है, तो भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से उसे चुना जा सकता है। भाषाओं की सूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। **अंग्रेज़ी और चुनी हुई भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर/ विसंगति/ विवाद के मामले में अंग्रेज़ी संस्करण की सामग्री मान्य होगी।**
- ड) शेष खानों अर्थात् मातृभाषा, तिल/ पहचान चिन्ह, पता इत्यादि को भरें।
- ढ) **धन की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण** : - पैरा 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों ने जिस खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया है, उसी खाते में अपना धन वापसी प्राप्त करने की पुष्टि कर दिए हैं, उन्हें इन विवरणों को भरने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह उनके लिए दिखाई नहीं देगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्होंने ऊपर दिए गए शुल्क भुगतान खाते के रूप में धन वापसी का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें उस लाभार्थी खाते का विवरण यथा ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं।
- ण) उम्मीदवार अन्य संगठनों में भर्ती के लिए उन मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संगठनों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को साझा करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं।
- त) **फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना** :
1. उम्मीदवार को स्वतः ही आवेदन के 'फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड' भाग के लिए निर्देशित किया जाएगा।
 2. 'अपलोड फ़ोटो' टैब का चयन करें और अपनी रंगीन फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो निम्न अनुसार होनी चाहिए :-
 3. **फ़ोटो के लिए विनिर्देश** :
 - क. सफ़ेद/ हल्के रंग की पृष्ठभूमि के साथ रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए।
 - ख. उसका आकार **35 मिमी x 45 मिमी** या **320 x 240 पिक्सेल** होना चाहिए।
 - ग. यह जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और **100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन** में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
 - घ. फ़ोटो का आकार **20-50 केबी** के बीच होना चाहिए।
 - ड. रंगीन फ़ोटो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में दिनांक **01.01.2019** को या उसके बाद लिया हुआ होना चाहिए। मोबाइल से खींची गई फ़ोटो और स्वयं के द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट के मामले में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
 - च. फ़ोटो में उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट एवं सामने से होना चाहिए तथा वह बिना किसी टोपी और धूप के चश्मे के हो।
 - छ. कैमरे में देखते हुए पूरा चेहरा होना चाहिए तथा फ़ोटो का कम-से-कम **50%** भाग में चेहरा होना चाहिए।
 - ज. चेहरे का मुख्य भाग सिर के बाल, किसी भी कपड़े या किसी भी परछाई से ढंका नहीं होना चाहिए।

- झ. माथा, आँखें, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
- ञ. यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फ़ोटो में चश्मे पर कोई चमक/ परावर्तन नहीं होना चाहिए और आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- ट. फ़ोटो को सभी सीबीटी/ सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा के दिनों में उम्मीदवार के चेहरे के साथ मेल खाना चाहिए।
- ठ. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल ऊपर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, न कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र में उपयोग पूरे शरीर का फ़ोटो।
- ड. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान और जब भी आवश्यक हो, उसी फ़ोटो की कम-से-कम 12 (बारह) प्रतियाँ आगे उपयोग के लिए रखें।
4. अपलोड सिग्नेचर टैब चुनें और अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर का इमेज निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ होने चाहिए।
5. हस्ताक्षर छवि के लिए विनिर्देश :
- क. आवेदक को 50 मिमी x 20 मिमी आकार वाले बॉक्स में काले रंग की स्याही से सफ़ेद काग़ज़ पर हस्ताक्षर करना होगा।
- ख. हस्ताक्षर रनिंग अक्षरों में होना चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए।
- ग. इमेज जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में और 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
- घ. इसका आयाम 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए।
- ड. फ़ाइल का आकार 10 केबी- 40 केबी के बीच होना चाहिए।
- च. टिप्पणी : -
- i. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- ii. आवेदकों के पंजीकरण के दौरान किए गए हस्ताक्षर और सभी सीबीटी/ सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा के समय प्राप्त हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
- iii. यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर का कोई मेल नहीं है, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और उम्मीदवार को रेलवे की भर्तियों (रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल) में उपस्थित होने के लिए जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
6. फ़ोटो और हस्ताक्षर को स्कैन करना और आकार बदलना :
- क. स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 100 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
- ख. कलर को टू कलर पर सेट करें। ऊपर बताए अनुसार फ़ाइल का आकार रखें।
- ग. फ़ोटो/ हस्ताक्षर के किनारे पर स्कैनर में इमेज को क्रॉप करें, फिर अपलोड एडिटर का उपयोग करके इमेज को अंतिम आकार में लाएँ (जैसा कि ऊपर बताया गया है)।
- घ. इमेज फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ाइल के नाम का एक उदाहरण है : image01.jpg या image01.jpeg।
- ड. फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस को ले जाकर इमेज आयामों की जाँच की जा सकती है। उम्मीदवार आसानी से एमएस पेंट या एमएस आफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके .jpeg फॉर्मेट में क्रमशः 50 केबी और 40 केबी के फ़ोटो और हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं।

च. किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फ़ोटो और हस्ताक्षर को .jpg फॉर्मेट में फ़ाइल मेनू में 'सेव एस' विकल्प का उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है और आकार को क्रॉप का उपयोग करके और फिर 'इमेज' मेनू में आकार बदलने का विकल्प लेकर 50 केबी (फ़ोटो) और 40 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फ़ोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।

थ) अजा/ अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करना :

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे उम्मीदवार, जिन्होंने निःशुल्क रेल यात्रा के लिए विकल्प दिया है, उन्हें अपने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट, 50 केबी – 100 केबी) की स्कैन की हुई प्रति निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपलोड करनी चाहिए।

ध्यान दें : यदि फ़ोटो, हस्ताक्षर और अजा/ अजजा समुदाय प्रमाणपत्र के लिए फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

द) आवेदन जमा करना :

अंत में उम्मीदवारों को इस घोषणा की पुष्टि करनी होगी "मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदित पद के लिए पात्रता मापदंडों को अच्छी तरह तरह पढ़ और समझ लिया है और इसमें दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता हूँ तथा आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और कुछ भी छुपाया या रोका नहीं गया है। मैं यह भी भलीभाँति जानता हूँ कि यदि किसी भी मामले में कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके पश्चात् असत्य पाया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड मुझे आवेदित पद के लिए अयोग्य घोषित करेगा और/ या वर्तमान नियमों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।"

उपर्युक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवार फाइल को "पीडीएफ" के रूप में सुरक्षित कर सकता है और/ या आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संरक्षित कर सकता है।

15.2 आवेदन में सुधार करना :

क. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, यदि उम्मीदवार आवेदन में असावधानीवश हुई गलती को सुधारने के लिए मामूली सुधार करना चाहते हैं, तो रेलवे भर्ती बोर्ड, ई-मेल और मोबाइल नंबर के अलावा अन्य डेटा का सुधार 100/- रुपए (अप्रतिदेय) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके कर सकते हैं। संशोधन शुल्क, छूट प्राप्त श्रेणियों सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा और यह शुल्क किसी भी श्रेणी के लिए वापस नहीं किया जाएगा।

ख. उम्मीदवार द्वारा अजा/ अजजा से अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपने समुदाय को संशोधित करने के मामले में उन्हें परीक्षा शुल्क में अंतर का भुगतान करना होगा। अर्थात् संशोधन शुल्क के अलावा 250/- रुपए का भुगतान करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग. इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार पूर्व सैनिक/ पीडबल्यूबीडी/ महिला/ ट्रांसजेंडर से अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ गैर पूर्व सैनिक/ गैर पीडबल्यूबीडी/ पुरुष आदि श्रेणी के लिए परिवर्तन कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 250/- रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- घ. पंजीकरण और आवेदन विवरण में संशोधन केवल दो बार ही किया जा सकता है।
- ड. चेतावनी : जो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीईएन की समापन तिथि और समय से पहले ही कर लें। यदि अंतिम समय की भीड़भाड़ के कारण संशोधन के प्रयास किसी भी स्तर पर विफल हो जाते हैं और किए गए संशोधन को सेव नहीं गया है या समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो आवेदन में पहले प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया जाएगा और इस विषय में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- च. चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकता है।
- छ. आवेदन के संशोधन के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :
- पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
 - वास्तविक परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए उपलब्ध किसी भी मोड से संशोधन शुल्क का भुगतान करें। सुनिश्चित करें कि भुगतान निर्धारित तिथि और समय के भीतर किया गया है।
 - 'मोडिफाई एप्लीकेशन' बटन पर क्लिक करें।
 - दिए गए निर्देशों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ें और आवेदन जमा करें। रिकॉर्ड के लिए नए आवेदन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

15.3 अमान्य आवेदन/ निरस्त आवेदन :

निम्नलिखित कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं :

- क. अमान्य फोटो के कारण जैसे काले एवं सफेद फोटो, टोपी पहनकर खींची गई फोटो और / या काले चश्मे, फोटो जिसकी आकृति ठीक नहीं है, छोटे आकार की फोटो, पूरे शरीर का फोटो, चेहरे का केवल एक तरफ का हिस्सा, फोटो पहचानने योग्य न हो, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, ग्रूप फोटो, सेल्फी फोटो, मोबाइल द्वारा लिया गया फोटो, संशोधित फोटो और दूसरों के बीच खाली फोटो।
- ख. कैपिटल/ ब्लॉक अक्षर में हस्ताक्षर।
- ग. ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 31.03.2019 तक पद के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं है।
- घ. निर्धारित से अधिक या कम आयु या गलत तरीके से भरी गई जन्म तिथि।
- ड. विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए एक से अधिक आवेदन। ऐसे मामलों में सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- च. किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की किसी बहिष्कृत सूची में उम्मीदवार का नाम आना।
- छ. कोई अन्य अनियमितता जो रेलवे भर्ती बोर्ड के ध्यान में आए और उसके द्वारा अमान्य मानी जाए।

टिप्पणी : उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों से अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार अस्वीकृति के लिए कारण के साथ अपनी स्थिति देख पाएँगे, जो अंतिम और बाध्यकारी है और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अस्वीकृति के कारण परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं की जाएगी। एसएमएस और ई-मेल अलर्ट उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर भी भेजे जाएँगे, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में सूचित किया गया है। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

16.0 सभी सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए हॉल टिकट (ई-बुलावा पत्र):

- 16.1 सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर ई-बुलावा पत्र और अपलोड विवरण के संबंध में एसएमएस और ई-मेल सूचना भेजी जाएगी। डाक के द्वारा कोई भी बुलावापत्र नहीं भेजा जाएगा। तथापि, उम्मीदवार नियमित रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएँ, क्योंकि कुछ ऐसे कारणों से एसएमएस और ईमेल उम्मीदवारों को नहीं भेजे जा सकते जिन पर रेलवे भर्ती बोर्ड का नियंत्रण ना हो।
- 16.2 पात्र उम्मीदवार सभी सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन (यदा लागू) की तिथि के 10 दिन पहले से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों से ई-बुलावा पत्र के साथ **अनुलग्नक V(डी)** (स्क्राइब के लिए घोषणा, जहाँ लागू हो) डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा।
- 16.3 उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
- 16.4 अजा / अजजा उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) का लाभ लेने के लिए अपने वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण अपलोड किए हैं, उनके सीबीटी, सीबीएटी/ टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) के ई-बुलावा पत्र में निःशुल्क यात्रा प्राधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र और अजा/ आजजा प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके टिकट सुरक्षित करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान यह उम्मीदवार अजा/ अजजा मूल प्रमाणपत्र और मूल निर्दिष्ट पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा।
- 16.5 उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में ई-बुलावा पत्र के साथ **वैध फ़ोटो पहचान पत्र** (यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंट (आधार का फ़ोटो कॉपी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय कर्मचारी होने के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का फ़ोटो पहचान पत्र) अगर वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं की मूल प्रति लानी होगी। इसमें विफल होने की स्थिति में उन्हें सीबीटी, सीबीएटी/ टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नाम, जन्मतिथि और पहचान पत्र में फ़ोटो का मिलान ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण से होना चाहिए, इसमें विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन में शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- 16.6 उम्मीदवार को सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) में शामिल होने के लिए एक रंगीन फ़ोटो भी (35 मिमी x 45 मिमी आकार का), जो कि आवेदन में अपलोड किया गया था, अवश्य ही लाना होगा।
- 16.7 उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आते समय ई-बुलावा पत्र में दिए गए खाली स्थान को स्व घोषणा अनुच्छेद (कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान स्क्रीन पर जैसा डिस्प्ले होगा), हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) के लिए खाली ही रखना होगा।
चेतावनी : उम्मीदवार को केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा केंद्र में वीक्षक के समक्ष ही परीक्षा कक्ष में स्व घोषणा का अनुच्छेद, हस्ताक्षर और एलटीआई लगाना होगा और परीक्षा समाप्त होने के पूर्व उसे वीक्षक को सौंपना होगा। कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर और / या पहले से स्व घोषणा अनुच्छेद लिखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 16.8 उम्मीदवार (रों) को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और पाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को रेलवे भर्ती बोर्ड स्वीकार नहीं करेंगे।

17.0 मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों के प्रारूप :

- 17.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रतियों के साथ सभी दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित फ़ोटोकॉपी की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इन उम्मीदवारों को यथा लागू सभी दस्तावेज़ों की स्कैन प्रतियाँ (टू कलर में) डीवी की तिथि से पहले www.rrbdv.in के माध्यम से अपलोड करना होगा।
- 17.2 सभी प्रमाणपत्र अंग्रेज़ी या हिंदी में ही होने चाहिए। हिंदी/ अंग्रेज़ी में प्रमाणपत्रों के नहीं होने की स्थिति में जहाँ/ जब भी आवश्यक हो स्वप्रमाणित अनूदित संस्करण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 17.3 दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा की जाने वाली दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए।
- 17.4 उम्मीदवार द्वारा सत्यापन के लिए मूल रूप में लाए जाने वाले दस्तावेज़ (यथा लागू) निम्नानुसार हैं :
1. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिक या हाई स्कूल प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाणपत्र। (आवदेन में उल्लेख किए गए उम्मीदवार के नाम, माता/ पिता के नाम प्रमाणपत्र में दिए गए नाम से मेल खाने चाहिए।)
 2. 10+2/ इंटर/ हायर सेकेंडरी/ पीयूसी/ समकक्ष प्रमाणपत्र (यथा लागू)।
 3. विश्वविद्यालय डिग्री या समकक्ष।
 4. **अनुलग्नक-I** के अनुसार प्रारूप में अजा/ अजजा प्रमाणपत्र।
 5. **अनुलग्नक-II** के अनुसार प्रारूप में अपिव-गैर क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र। (दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से एक वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।
 6. **अनुलग्नक-IIA** के अनुसार प्रारूप में अपिव उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमी लेयर घोषणा।
 7. **अनुलग्नक-III** के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र।
 8. **अनुलग्नक-III A** के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाणपत्र।
 9. **अनुलग्नक-IV** के अनुसार गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर अल्प समुदाय घोषणा।
 10. भूतपूर्व सैनिकों के लिए मूल विमुक्ति प्रमाणपत्र।
 11. यथा लागू **अनुलग्नक-V(A) / अनुलग्नक V(B) / अनुलग्नक V(C) / अनुलग्नक V(E)** के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र।
 12. अनुलग्नक-VII के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-घोषणा।
 13. सेवारत कर्मचारियों के लिए नियुक्ति की तारीख से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
 14. सेवारत रक्षाकर्मियों के लिए सेवा मुक्ति की संभावित तारीख से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
 15. पैरा 1.7 में वर्णित अनुसार औपचारिक नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्रित अधिसूचना और/ या अन्य कानूनी दस्तावेज़।
 16. एसबीआई शाखा में चलान द्वारा भुगतान करने के मामले में भुगतान की रसीद या कंप्यूटरीकृत डाक घर की पे-इन-स्लीप।
 17. ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्वप्रमाणन।
 18. जम्मू व कश्मीर आवासीय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
 19. पैरा 4.1(एफ) के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र।
 20. यथा लागू सक्षम न्यायलय से तलाक/ कानूनी वियोजन की डिक्री और इस आशय का शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
 21. विधवा उम्मीदवार के मामले में पति का मृत्यु प्रमाणपत्र और इस आशय का शपथ पत्र की उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
 22. भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इस सीईएन के लिए आवेदन करने के बाद असैनिक रोज़गार प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के बाद जल्द-से-जल्द संबंधित नियोक्ता को इस सीईएन के

तहत दिए गए आवेदन के विवरण के बारे में स्व घोषणा देनी चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के समय इस घोषणा की पावती कॉपी के साथ असैनिक नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

टिप्पणी :-

- i. वे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों/ या आयु सीमा में छूट के लिए विचार किया जाना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक संबंधित दस्तावेज़ मूल प्रति में दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अवश्य ही जमा करेंगे। अन्यथा यदि उन पर लागू होता है, तो अजा/ अजजा/ अपिव-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांग होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/ आवेदन को अनापत्ति (अना) समुदाय के लिए विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii. शैक्षणिक योग्यता जैसे अनंतिम / सामान्य प्रमाणपत्र में जारी तिथि होनी चाहिए। यह जारी तिथि सीईएन की अंतिम तिथि के बाद का होने के मामले में समेकित अंक सूची में अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम के जारी होने की तिथि या प्रत्येक सेमेस्टर के परिणाम के जारी होने की तिथि सहित प्रत्येक सेमेस्ट की अंक सूचियाँ जमा करनी चाहिए। इन प्रमाणपत्रों में तिथि उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी (जिसमें परिणाम के जारी होने की तिथि इंगित हो) प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

18.0 छद्मरूपण/ तथ्यों को छिपाना – चेतावनी :

- 18.1 यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा देने के लिए भेजने, छद्म रूप धारण करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, तो उसे रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की सभी परीक्षाओं में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति लेने पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 18.2 रेलवे भर्ती बोर्ड को कोई गलत सूचना देने या किसी भी चरण में कोई सूचना जानबूझकर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा और रेलवे या अन्य किसी सरकारी सेवा में किसी भी नियुक्ति हेतु चयन या परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हो चुकी है, तो उस उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 18.3 यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार की पात्रता और/ या परीक्षा में शामिल होने के लिए निःशुल्क यात्रा प्राधिकार सहित विशेषाधिकार पाने के लिए जाली/ नकली प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ जमा करते हुए पाया गया, तो उसकी उम्मीदवारी उस विशेष भर्ती के लिए रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए वह आवेदन किया है। इसके अलावा, रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल द्वारा संपूर्ण देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से 2 वर्ष/ या आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और आवश्यक हुआ, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- 18.4 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में कोई राजनैतिक या कोई अन्य प्रभाव का इस्तेमाल या प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

19.0 विविध :

- 19.1 रेलवे भर्ती बोर्ड को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा/ दस्तावेज़ सत्यापन आयोजित करने का अधिकार है। रेलवे भर्ती बोर्ड को बिना कोई कारण बताए इस सीईएन अधिसूचना में अधिसूचित कोटियों में से किसी भी कोटि के लिए किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया या उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार है।

- 19.2 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क पास जारी करने, गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन इत्यादि से संबंधित तमाम मामलों के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- 19.3 रेलवे भर्ती बोर्ड असावधानीवश हुई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे ऐसी त्रुटि को सुधारने का अधिकार है।
- 19.4 इस सीईएन के कारण उत्पन्न किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार द्वारा चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित होगा।
- 19.5 सीईएन अधिसूचना की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइट में प्रकाशित सीईएन अधिसूचना के अंग्रेज़ी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।
- 19.6 आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन : आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी आवेदन, जो किसी भी जानकारी की माँग करता है, उस पर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक विचार नहीं किया जाएगा।

20.0 विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड का विवरण, उनके वेबसाइटों का पता निम्नलिखित है :-

रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफ़ोन नंबर	रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफ़ोन नंबर
(1)	(2)	(1)	(2)
अहमदाबाद	www.rrbahmedabad.gov.in फ़ोन: 079 – 22940858	गुवहाटी	www.rrbguwahati.gov.in फ़ोन: 0361 – 2540815
अजमेर	www.rrbajmer.gov.in फ़ोन: 0145 – 2425230	जम्मू – श्रीनगर	www.rrbjammu.nic.in फ़ोन: 0191 – 2476757
इलाहाबाद	www.rrbald.gov.in फ़ोन: 0532 – 2224531	कोलकाता	www.rrbkolkata.gov.in फ़ोन: 033 – 25430108
बेंगलूरु	www.rrbnc.gov.in फ़ोन: 080 – 23330378	माल्दा	www.rrbmalda.gov.in फ़ोन: 03512 – 264567
	फ़ोन: 080 – 23334147	मुंबई	www.rrbmumbai.gov.in फ़ोन : 022-23090422
भोपाल	www.rrbpl.nic.in फ़ोन: 0755 – 2746660	मुज़फ़्फ़रपुर	www.rrbmuzaffarpur.gov.in फ़ोन: 0621 – 2213405
भुवनेश्वर	www.rrbbs.gov.in फ़ोन: 0674 – 2303015	पटना	www.rrbpatna.gov.in फ़ोन: 0612 – 2677680
बिलासपुर	www.rrbilaspur.gov.in फ़ोन: 07752 - 247291	रांची	www.rbranchi.gov.in फ़ोन: 0651 - 2462429

चंडीगढ़	www.rrbcdg.gov.in फ़ोन: 0172 – 2730093	सिकंदराबाद	www.rrbsecunderabad.nic.in फ़ोन: 040 – 27821663
चेन्नई	www.rrbchennai.gov.in फ़ोन: 044 – 28275323	सिलिगुड़ी	www.rrbiliguri.org फ़ोन: 0353 – 2663840
गोरखपुर	www.rrbgkp.gov.in फ़ोन: 0551 – 2201209	तिरुवनंतपुरम	www.rrbthiruvananthapuram.gov.in फ़ोन: 0471-2323357

21.0 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में प्रयोग हुई संक्षिप्तियाँ :

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी : कंप्यूटर आधारित परीक्षा, एटी : अभिक्षमता परीक्षा, सीबीएटी : कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, टीएसटी : टंकण कौशल परीक्षा, डीवी : दस्तावेज़ सत्यापन
आरक्षण/ आयु में छूट वर्ग	ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूपू-सै. = भूतपूर्व सैनिक, अपिव-सीएल= अन्य पिछड़ा वर्ग- क्रीमी लेयर, अपिव-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर, अ.जा. = अनुसूचित जाति, अजजा = अनुसूचित जनजाति, अना = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांग	आर-वीआई=नियमित दृष्टि बाधिता, आर-एचआई = नियमित श्रवण बाधिता, आर-एलडी = नियमित लोकोमोटर अशक्तता, आर-ओडी = नियमित अन्य अशक्तता, आर-एमडी = नियमित बहु अशक्तता, बी-वीआई=बैकलॉग दृष्टि बाधिता, बा-एचआई = बैकलॉग श्रवण बाधिता, बी-एलडी = बैकलॉग लोकोमोटर अशक्तता, बी-ओडी = बैकलॉग अन्य अशक्तता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अशक्तता, एएवी=एसिड हमले के शिकार, एएसडी=स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, बी=नेत्रहीन, बीएल=दोनों पैर, डी=बधिर, डीडब्ल्यू=बौनापन, एचएच=श्रवण बाधिता, एचआई=श्रवण बाधिता, आईडी= बैद्धिक दिव्यांगता, एलसी=कुष्ठरोग उपचारित, एलडी=लोकोमोटर दिव्यांगता, एलवी=कमजोर दृष्टि, एमडी=मांसपेशीय दुर्विकास, एमडब्ल्यू= मांसपेशीय कमजोरी, ओए=एक हाथ, ओएल=एक पैर, ओएएल=एक हाथ व एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्ग दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, एसएलडी= बीतचीत एवं भाषा दिव्यांगता, वीआई=दृष्टि हीनता।
रेलवे जोन/ उत्पादन इकाई / संगठन	सीएलडब्ल्यू=चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस् , चित्तरंजन; म.रे.=मध्य रेलवे, डीएलडब्ल्यू=डीज़ल लोकोमोटिव वर्कस् वाराणसी; डीएमडब्ल्यू=डीज़ल लोकोमोटरनैज़ेशन वर्कस्, पटियाला; पू.रे.=पूर्व रेलवे, पू.म.रे.=पूर्व मध्य रेलवे, पू.त.रे.=पूर्व तट रेलवे, आईसीएफ=इंटग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई; उ.रे.=उत्तर रेलवे, उ.म.रे.=उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वो.रे.= पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वो.सी.रे.=पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, उ.प.रे.=उत्तर पश्चिम रेलवे, पीएसयू=सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पीयू=उत्पादन इकाई, आरसीएफ=रेल कोच फैक्टरी, कपुर्तला; आरडीएसओ= अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, लखनऊ; रे.=रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड=रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी=रेलवे भर्ती

	सेल, आरडब्ल्यूएफ=रेल पहिया फैक्टरी, बेंगलूरु; आरडब्ल्यूपी=रेल व्हील प्लांट, बेला; द.रे.=दक्षिण रेलवे, द.म.रे.=दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.=दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.= दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिम रेलवे, प.म.रे.=पश्चिम मध्य रेलवे।
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, एएलडी=इलाहाबाद, बीबी=मुंबई, बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, कीओएल=कोलकाता, एमएस=चेन्नई, एमएलडी=मालदा, एमएफपी=मुज़फ्फरपुर, पीएनबीई=पटना, आरएनसी=रांची, एसबीसी=बेंगलूरु, एससी=सिकंदराबाद, एसजीयूजे=सिलीगुड़ी, टीवीसी=तुरुवनंतपुरम।
सामान्य	सीबीएसई=केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सीईएन=केंद्रीकृत रोजगार सूचना, डीवाईएन बीजी एमजी= डायनेमिक ब्रॉड गेज तथा मीटर गेज, ईडी=इंजन विकास, ईएमयू=विद्युत मल्टिपल यूनिट, जीपी =ग्रेड वेतन, आईएफएससी= इंडियन फैनान्शियल सिस्टम कोड, जेपीईजी = जाइंट फ़ोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, के.बी.=किलो बाइट, एलटीआई=लेफ्ट थंब इंप्रेशन, एमपी=मोटिव पॉवर, ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड, एसएंडटी=सिगनल व दूरसंचार, टीआई=ट्रैक्शन इंस्टालेशन, टीआरडी=ट्रैक्शन डिस्ट्रिब्यूशन, टीआरएस=ट्रैक्शन सप्लई, यूपीआई=यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।

चेतावनी :-

- प्रभाव दिखकार या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे ने इस हेतु किसी एजेंट या कोचिंग केंद्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/ एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श लेने और अनैतिक तत्वों/ दलालों द्वारा बनाई गई जाली वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

अनुलग्नक-1

अजा/अजजा के लिए जाति प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/ श्रीमती/ कुमारी*सुपुत्र/सुपुत्री* गाँव/ शहर..... /जिला/ मंडल*राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*जाति*/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है :-

* संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

* संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

* संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956

* संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, * संविधान (दादर व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.

* संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962

* संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.

* संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.

* अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती*.....पिता/ माता*.....के श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....निवासी.....
गाँव/ शहर*...../जिला/ मंडल*..... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*.....को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो.....जाति/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक.....से मान्यता प्राप्त
है।

3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी* और/ अथवा* उसका* परिवार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....के जिला/ मंडल*.....
गाँव/ शहर* में सामान्यतः निवास करता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र.....

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

(1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों। (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है। (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव (लक्कादीव, मिनिर्काय तथा अमीनदीवी द्वीप)।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारीसुपुत्र/ सुपुत्री
.....गाँव/ शहर.....जिला/ मंडल..... राज्य/
संघ राज्य क्षेत्र..... समुदाय से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार,
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं.दिनांक * के अंतर्गत
अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी*और/ अथवा उसका
परिवारराज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
के..... जिला/ मंडलमें सामान्यतः
निवास करता/ करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण
विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 की
अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व
प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक
27.05.2013 तथा 13.09.2017** द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्त आदि
(मुहर)

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2019 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

“मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री.....

..... श्री.....गाँव/ शहर/.....जिला

..... राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/

करती हूँ कि मैं.....समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व

प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 में

अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप

में मान्यता प्रदान की गई है। यह भी घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन

08.03.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक

27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमीलेयर)

के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक :

उम्मीदवार का नाम

सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र क्र.. _____

दिनांक : _____

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____, ग्राम/मुहल्ला _____ डा
कघर _____ जिला _____ राज्य/संघशासित प्रदेश
_____ पिन कोड _____ के मूल निवासी हैं, जिनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में उनकी/उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* 8 लाख रुपए (आठ
लाख रुपए केवल) से कम है। उनके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है

- I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी _____ उस जाति से संबंधित हैं, जिसे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर-----

नाम _____

पदनाम _____

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो

* नोट 1 : आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल हैं।

** नोट 2 : इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-
बहन तथा उसके पति/ पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों
/ शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा गया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2019 के पदों के लिए
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय
परीक्षा शुल्क छूट की घोषणा का प्रारूप

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. आवासीय पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3) किसी गरीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्जत एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/ रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है (5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यतः निवास करता है।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) 01/2019 के पदों के लिए
अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा कराए जाने वाला
परीक्षा शुल्क से छूट की घोषणा का प्रपत्र

मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____
निवासी गाँव/ शहर/ नगर _____ जिला _____ राज्य
_____ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं _____ (केंद्रीय सरकार
द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) से
संबद्ध रखता हूँ/ रखती हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिक
स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा
अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन
(पारसी) के अंतर्गत आता है।

फार्म - V

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/ महीना/ वर्ष).....पुरुष/

महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/ गाँव/

गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक

परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि

(क) यह मामला :

- लोकोमोटर अपंगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता से ग्रस्त है
(जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगाए)

(ख) उसकी अपंगता का निदान.....

- (1) दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) उसके (शरीर का अंग) में.....की स्थायी शारीरिक अपंगता/ नेत्रहीनता.....प्रतिशत (अंकों में) प्रतिशत (शब्दों में) है।
- (2) आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है।

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फार्म-VI
दिव्यांग प्रमाणपत्र
(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)
(नियम 18 (1) देखें)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/ महीना/ वर्ष).....पुरुष/ महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/ गाँव/ गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि :

(क) वह एक से अधिक अपंगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/ अपंगता की सीमा का नीचे चिह्नित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शाई गयी अपंगता का दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है :

क्र. सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/ मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्बिकार			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			
6.	एसिड हमले के शिकार			
7.	कमजोर दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधिता	£		
11.	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
14.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
17.	मल्टिपल सिरोसिस			
18.	पार्किंसन रोग			
19.	अधिरक्तस्राव			
20.	थेलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है :-

अंकों में% शब्दों में प्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- (तारीख/ माह/ वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों हाथ/ पैर, # अर्थात् एक आँख/ दोनों आँखें, £ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का व्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर व मुहर :

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फार्म-VII

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(फार्म-V व VI में उल्लिखित के अलावा अन्य मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 18 (1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा), जो साक्ष्यांकित किया गया हो

प्रमाणपत्र सं दिनांक

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री.....

जन्मतिथि (तारीख/ माह/ वर्ष)..... आयु वर्ष..... पुरुष/ महिला पंजीकरण सं.

स्थायी निवासी मकान नं. वार्ड/ गाँव/ गली पोस्ट ऑफिस..... जिला..... राज्य

जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और मैं आश्चर्य हूँ कि उनका मामला अपंगता का है। उनकी शारीरिक बाधिता/ अपंगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार (.....संख्या और दिशा-निर्देशों के जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) किया गया है और इन्हें नीचे तालिका में उल्लिखित संबंधित अपंगता के सामने दर्शाया गया है :-

क्र. सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/ मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	मस्तिष्क पक्षाघात			
5.	एसिड हमले के शिकार			
6.	कमजोर दृष्टि	#		
7.	बधिर	£		
8.	श्रवण बाधिता	£		
9.	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
12.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक रोग			
14.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
15.	मल्टिपल सिरोसिस			
16.	पार्किंसन रोग			
17.	अधिरक्तस्राव			
18.	थेलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो अपंगता लागू न हो उसे काट दें)

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है :-

अंकों में% शब्दों में प्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- (तारीख/ माह/ वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/दोनों हाथ/ पैर

अर्थात् एक आँख/ दोनों आँखें

£ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम व मोहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर व मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान, जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी- प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही वैध होगा। प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E), दिनांक 31.12.1996 को प्रकाशित किया गया था

स्क्राइब की सहायता लेने हेतु घोषणा

टिप्पणी : दृष्टि बाधिता वाले (वीआई) उम्मीदवार/ सेरेब्रल पाल्सी के कारण जिनकी लेखन गति प्रभावित हो/ मांशपेशीय दुर्बिकास/ लोको मोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (एक हाथ)/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले (स्वलीनता, स्पेसिफिक लर्निंग अपंगता और मानसिक बीमारी) उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर.....
3. सीबीटी केंद्र का नाम.....
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता.....
5. दिव्यांगता का प्रकार.....
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब की जन्म तिथि.....
8. स्क्राइब के पिता का नाम
9. स्क्राइब का पता :
(a) स्थायी पता
-
- (b) वर्तमान पता
-
10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता
-
11. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ संबंध, यदि कोई हो
12. घोषणा :
i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त ब्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते हैं।
ii) हमलोग यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता सही लिखी गई है और स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता से एक स्तर नीचे है। अगर, आगे यह पता चलता है कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता घोषणा के अनुसार नहीं है तो मैं (उम्मीदवार) पद के लिए दावे के अधिकार से बंचित हो जाऊंगा।
iii) हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि स्क्राइब खुद इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि अगर यह पता चलता है कि वह इस परीक्षा का उम्मीदवार है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
iv) हम घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है/ किसी अन्य उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा में लिखने का काम नहीं करेगा।

स्क्राइब का हाल ही में खिंचाया पासपोर्ट आकार का 3.5 मिमी x 4.5 मिमी का रंगीन फोटो (जो तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो)

उक्त बक्स में स्क्राइब के हस्ताक्षर

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में उम्मीदवार के बाएँ अंगूठे की छाप

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में स्क्राइब के बाएँ अंगूठे की छाप

वीक्षक के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा
नेत्र विशेषज्ञ से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी प्रपत्र

मैंने श्रीमती/श्री/कुमारी.....की जाँच कर ली है जिन्होंने रेलवे में स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक* के पद के लिए आवेदन किया है। रेलवे में नियुक्ति के लिए आवश्यक निम्नलिखित मानकों के मद्देनज़र उनकी दृष्टि / कलर विजन की एक्विटी का परीक्षण किया गया है।

उम्मीदवार का अपना हाल का स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, जो एक महीने से अधिक पुराना न हो, को चिपकाएँ

फ़ोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में उम्मीदवार का हस्ताक्षर

पद	श्रेणी	दूर दृष्टि	निकट दृष्टि	कलर विजन इशियारा
स्टेशन मास्टर / यातायात सहायक *	ए-2	बिना ग्लास के 6/9, 6/9 (कोई फॉर्गिंग टेस्ट नहीं)	एसएन 0.6/0.6 बिना ग्लास के	सामान्य

श्रीमती/श्री/कुमारी.....स्टेशन मास्टर/ ट्रेफिक असिस्टेंट* पद के लिए उपर्युक्त दृष्टि मानकों को पूर्णतया पूरा करता है।
(* जो लागू न हो उसे काट दें।)

नेत्र विशेषज्ञ का हस्ताक्षर

नेत्र विशेषज्ञ का नाम

नेत्र विशेषज्ञ का पंजीकरण सं।।

स्थान :

दिनांक :

नेत्र विशेषज्ञ की मुहर

पूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत नागरिक रोज़गार के संबंध में पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं भलीभाँति जानता हूँ कि मैं इस केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) द्वारा की जाने वाली भर्ती के संबंध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहूँगा, यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय असैनिक रोज़गार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ उठाकर रोज़गार मिला है।

मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ :

क) मैंने सीईएन 01/2019 के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई असैनिक रोज़गार प्राप्त नहीं किया है।

ख) मैंने असैनिक रोज़गार में नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सीईएन 01/2019 में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व घोषणा/ वचन दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व घोषणा/ वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाणपत्र संलग्न है।

(जो भी लागू न हो, उसे काट दें।)

स्थान :

हस्ताक्षर :

तारीख :

नाम :

रोल नंबर :

सीईएन-01/2019 : पद मापदंड

कोटि सं.	पद का नाम	7 ^{वें} सीपीसी में स्तर	वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता (पीडब्ल्यूबीडी)					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
					व्हीआई	एचआई	एलडी	ओ डी	एम डी	
1	वाणिज्य प्रशिक्षु	6	35400	बी2	नहीं	डी, एचआई	ओए, ओएल, एमडब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
2	स्टेशन मास्टर	6	35400	ए2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
3	गुड्स गार्ड	5	29200	ए2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
4	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5	29200	सी2	एलव्ही	डी, एचआई	ओएल, बीएल, एमडब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष। कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है।
5	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक	5	29200	सी2	बी, एलव्ही	डी, एचआई	ओए, ओएल, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष। कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है।
6	वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक	5	29200	बी2	नहीं	डी, एचआई	ओए, ओएल, एमडब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
7	वरिष्ठ समयपाल	5	29200	सी2	एलव्ही	डी, एचआई	ओए, ओएल, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष। कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है।
8	यातायात सहायक	4	25500	ए2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
9	वाणिज्य सह टिकट लिपिक	3	21700	बी2	नहीं	डी, एचआई	ओए, ओएल, एमडब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	कुल 50% अंकों सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बेंचमार्क दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है।
10	लेखा लिपिक सह टंकक	2	19900	सी2	एलव्ही	डी, एचआई	ओएल, बीएल, एमडब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	कुल 50% अंकों सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बेंचमार्क दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है। कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है।
11	कनिष्ठ लिपिक सह टंकक	2	19900	सी2	बी, एलव्ही	डी, एचआई	ओए, ओएल, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	कुल 50% अंकों सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बेंचमार्क दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है। कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है।
12	कनिष्ठ समयपाल	2	19900	सी2	एलव्ही	डी, एचआई	ओए, ओएल, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएव्ही	नहीं	हाँ	कुल 50% अंकों सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बेंचमार्क दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है। कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी/हिंदी में टंकण प्रवीणता आवश्यक है।
13	ट्रेन लिपिक	2	19900	ए3	नहीं	एचआई	ओए, ओएल, एएव्ही	नहीं	हाँ	कुल 50% अंकों सहित 12वीं (+2 स्तर) या इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बेंचमार्क दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक और 12वीं (+2 स्तर) से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में 50% अंकों पर जोर नहीं दिया जाना है।

संक्षिप्तियाँ :

एएव्ही=एसिड हमले का शिकार, B=नेत्रहीन, बीएल=दोनों पैर, डी=बधिर, डीडब्ल्यू=बौनापन, एचएच=सुनने में दिक्कत, एचआई=श्रवण दोष, आईडी= बौद्धिक अक्षमता, एलसी=कुष्ठ रोग उपचारित, एलडी= लोकोमोटर विकलांगता, एलव्ही=न्यून दृष्टि, एमडी= मांसपेशीय दुर्बिकार, एमडब्ल्यू= मांसपेशियों की कमजोरी, ओए=एक भुजा, ओडी=अन्य दिव्यांगता, ओएल= एक पैर, ओएलएल=एक भुजा और एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी= बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार , एसएलडी=वाक् एवं भाषा दिव्यांगता, वीआई= दृष्टिहीनता।

CEN No. 01/2019 - VACANCY TABLE

RRB-wise, Railway/PU-wise & Post-wise vacancies for all the Notified Posts

RRB - Ahmedabad

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	WR	6	1	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	WR	177	26	8	53	26	290	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	WR	22	5	3	9	5	44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	NAIR	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			WR	55	17	8	32	11	123	12	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	WR	54	17	10	32	13	126	13	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	WR	113	42	22	76	29	282	29	0	4	4	0	5	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	NAIR	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WR	46	20	8	35	11	120	13	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	WR	10	4	3	8	2	27	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
RRB Total				486	132	63	246	97	1024	96	10	12	6	0	9	0	0	0	0	0

RRB - Ajmer

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	NWR	8	2	1	4	2	17	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	NWR	238	86	37	145	54	560	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	NWR	80	27	9	44	18	178	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	NWR	107	45	0	66	24	242	24	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	NWR	49	19	6	39	12	125	13	5	2	2	0	2	0	0	0	0	0
			WCR	2	1	1	2	2	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	NWR	98	34	16	62	23	233	23	0	3	5	0	5	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	NWR	67	23	11	41	15	157	16	0	4	5	0	7	0	0	0	0	0
			WCR	5	3	2	5	2	17	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	NWR	9	5	2	6	2	24	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	NWR	82	26	12	50	17	187	18	7	3	2	0	2	0	0	0	0	0
			WCR	7	3	2	6	2	20	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	NWR	4	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				756	274	99	471	173	1773	164	16	18	22	0	18	0	0	0	0	0

RRB - Allahabad

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	Commercial Apprentice	6	NCR	1	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			NR	24	9	5	18	6	62	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	NCR	102	39	22	76	33	272	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			NR	71	27	13	49	18	178	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	NCR	417	142	71	280	104	1014	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			NR	165	59	28	99	41	392	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	DLW	6	2	2	5	2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			NCR	73	20	20	40	17	170	17	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	DLW	3	2	11	2	1	19	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			NCR	86	30	16	50	19	201	20	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
			NR	32	13	8	3	9	65	9	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	NCR	178	77	52	127	49	483	48	0	7	8	0	7	0	0	0	0	0	
			NR	106	39	20	71	26	262	26	0	8	8	0	4	0	0	0	0	0	0
7	Senior Time Keeper	5	DLW	3	1	1	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	NCR	98	31	14	60	23	226	23	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	
			NR	17	7	3	11	5	43	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	NCR	13	4	3	5	3	28	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Junior Clerk Cum Typist	2	DLW	6	2	5	4	2	19	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
			NCR	125	38	21	70	25	279	28	3	3	4	0	3	0	0	0	0	0	0
			NR	101	40	26	74	27	268	27	4	7	9	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Junior Time Keeper	2	DLW	2	1	0	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Trains Clerk	2	NCR	21	8	5	14	5	53	6	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	
			NR	12	4	2	9	3	30	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				1662	596	348	1072	421	4099	440	18	47	49	0	26	0	0	0	0	0	

RRB - Bangalore

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Station Master	6	SWR	388	135	67	243	66	899	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	SWR	104	36	19	66	17	242	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	RWF	3	1	0	2	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			SWR	39	15	7	27	10	98	10	3	5	5	0	3	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	RWF	5	1	1	2	1	12	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
			SWR	39	13	6	25	11	94	8	4	4	2	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	SWR	148	54	28	98	37	365	37	0	12	16	0	14	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	SWR	221	76	38	137	37	509	51	0	17	23	0	21	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	RWF	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	RWF	8	2	1	4	2	21	2	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1
			SWR	67	28	14	48	20	177	18	5	5	2	0	1	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	SWR	19	6	4	12	4	45	5	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0
RRB Total				1042	367	185	665	205	2470	188	12	43	53	0	45	0	3	1	0	2

RRB - Bhopal

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	WCR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	WCR	47	15	8	30	14	114	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	WCR	30	13	8	20	8	79	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WR	8	7	3	13	4	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	WCR	55	20	11	37	14	137	14	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	WCR	46	14	8	27	10	105	8	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0
			WR	20	6	4	11	4	45	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	WCR	69	27	14	48	20	178	20	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	WCR	31	11	6	21	8	77	8	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
			WR	7	5	2	11	3	28	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	WCR	50	20	8	28	14	120	10	3	3	4	0	1	0	0	0	0	0
			WR	17	6	4	11	5	43	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	WCR	10	2	1	6	2	21	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
			WR	3	2	2	5	2	14	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				394	148	79	268	108	997	100	10	12	22	0	9	0	0	0	0	0

RRB - Bhubaneswar

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	ECoR	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	ECoR	39	5	2	10	5	61	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	ECoR	53	16	8	22	17	116	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	ECoR	20	7	4	14	5	50	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	ECoR	16	9	5	9	4	43	4	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	ECoR	32	10	5	17	6	70	7	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	ECoR	38	12	5	21	8	84	9	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	ECoR	14	5	2	8	4	33	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	ECoR	17	5	4	9	4	39	5	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
RRB Total				231	69	35	110	53	498	55	2	9	9	0	7	0	0	0	0	0

RRB - Bilaspur

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	CR	7	2	1	4	2	16	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			SECR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	CR	9	3	2	6	2	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SECR	170	21	7	20	24	242	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	CR	23	9	5	16	6	59	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SECR	245	37	20	56	40	398	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	SECR	35	14	7	24	9	89	8	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	CR	7	2	1	5	2	17	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			SECR	13	2	1	3	1	20	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	CR	38	14	7	26	9	94	9	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
			SECR	27	10	5	18	6	66	6	0	5	5	0	4	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	CR	9	4	2	6	2	23	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			SECR	27	11	5	19	7	69	7	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	SECR	4	2	1	2	1	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	CR	10	4	2	6	2	24	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			SECR	22	4	2	8	4	40	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	CR	1	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SECR	5	2	1	3	2	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				653	142	71	222	119	1207	111	4	18	19	0	9	0	0	0	0	0

RRB - Chandigarh

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	NR	18	6	3	11	5	43	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	NR	142	54	26	98	42	362	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	NR	93	32	14	67	14	220	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	NR	179	65	32	118	44	438	44	0	8	9	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	NR	81	30	16	52	18	197	17	2	5	5	0	2	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	NR	146	54	27	98	36	361	36	0	7	5	0	5	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	NR	158	58	29	105	39	389	13	0	4	5	0	5	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	NR	24	8	4	15	5	56	6	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	NR	153	55	30	98	30	366	32	6	8	7	0	3	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	NR	20	9	9	8	5	51	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				1014	371	190	670	238	2483	195	9	36	35	0	16	0	0	0	0	0

RRB - Chennai

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Station Master	6	SR	285	85	39	131	61	601	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	SR	131	40	18	62	24	275	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	ICF	6	2	2	4	2	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SR	140	38	23	41	27	269	27	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	ICF	3	3	15	2	3	26	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			SR	107	30	26	44	18	225	22	3	5	12	0	4	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	SR	144	55	27	97	36	359	36	0	6	6	0	3	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	SR	200	72	38	134	51	495	51	0	9	9	0	3	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	ICF	2	1	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SR	33	8	6	13	7	67	7	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	ICF	10	1	0	0	2	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SR	139	44	29	73	25	310	29	5	5	5	0	3	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	SR	14	4	4	8	3	33	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				1214	383	228	610	259	2694	258	14	31	41	0	18	0	0	0	0	0

RRB – Gorakhpur

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	Commercial Apprentice	6	NER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Station Master	6	NER	84	30	16	56	20	206	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Goods Guard	5	NER	22	8	5	15	6	56	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	MCF	6	2	1	3	1	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			NER	59	23	11	39	14	146	14	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			RDSO	4	2	1	2	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	MCF	5	2	0	2	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			NER	36	14	7	25	8	90	9	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
			RDSO	1	1	4	2	0	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	NER	94	35	17	62	23	231	24	0	6	5	0	3	0	0	0	0	0	
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	NER	52	18	9	34	13	126	13	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	NER	32	12	6	22	8	80	8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
			RDSO	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Junior Clerk Cum Typist	2	NER	115	43	20	76	29	283	29	3	5	7	0	3	0	0	0	0	0	
			RDSO	5	2	2	2	1	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
13	Trains Clerk	2	NER	10	3	2	6	3	24	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
RRB Total				527	195	101	347	128	1298	125	9	21	22	0	9	0	0	0	0	0	

RRB - Guwahati

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	NFR	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	NFR	53	19	17	19	12	120	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	NFR	16	6	3	9	4	38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	NFR	32	11	6	21	8	78	8	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	NFR	56	20	10	37	13	136	14	2	2	3	0	2	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	NFR	63	21	11	39	15	149	16	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	NFR	22	9	5	16	6	60	6	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	NFR	23	9	5	15	5	57	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	NFR	76	27	14	50	17	184	18	2	3	2	0	2	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	NFR	11	4	2	7	3	27	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				353	126	73	214	83	851	83	6	14	10	0	8	0	2	0	0	0

RRB - Jammu-Srinagar

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	NR	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	NR	130	47	24	86	35	322	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	NR	26	11	5	20	8	70	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	DMW	5	1	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			RCF	2	0	1	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	DMW	8	2	0	2	1	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			NR	29	11	5	18	7	70	7	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0
			RCF	6	0	0	2	1	9	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	NR	40	14	7	25	9	95	9	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0
7	Senior Time Keeper	5	DMW	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	NR	67	25	13	45	17	167	17	0	3	6	0	1	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	DMW	2	0	0	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	DMW	1	0	2	8	2	13	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			NR	44	17	8	27	10	106	10	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0
			RCF	0	0	0	8	2	10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Junior Time Keeper	2	DMW	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				364	128	66	247	93	898	84	6	8	21	0	5	0	0	0	0	0

RRB - Kolkata

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	Commercial Apprentice	6	SER	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Station Master	6	ER	143	21	18	70	29	281	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SER	35	12	6	22	7	82	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	ER	101	22	20	26	19	188	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SER	10	3	2	5	2	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	ER	47	17	8	30	11	113	11	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	
			METRO	3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	14	5	2	8	2	31	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	CLW	13	2	0	3	0	18	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			ER	97	28	13	42	20	200	20	4	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0
			METRO	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	48	13	9	22	9	101	11	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	ER	264	78	38	97	53	530	53	0	10	12	0	13	0	0	0	0	0	
			SER	51	18	9	33	12	123	12	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0
7	Senior Time Keeper	5	ER	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Traffic Assistant	4	METRO	35	13	7	23	9	87	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	ER	237	60	28	42	41	408	41	0	5	5	0	6	0	0	0	0	0	
			SER	28	9	5	17	6	65	7	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	ER	9	7	5	16	6	43	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SER	14	5	2	8	2	31	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	CLW	8	0	0	4	2	14	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
			ER	204	58	30	86	41	419	41	10	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0
			METRO	2	1	0	1	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	72	19	12	26	14	143	14	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Junior Time Keeper	2	ER	3	2	1	2	1	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
13	Trains Clerk	2	ER	9	3	2	5	2	21	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RRB Total				1453	398	217	591	290	2949	288	24	35	36	0	34	0	0	0	0	0	

RRB - Malda

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	SER	8	1	2	3	1	15	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	ER	45	13	6	14	9	87	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	32	11	5	19	7	74	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	ER	61	22	11	38	14	146	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	64	23	11	41	15	154	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	ER	14	4	3	8	4	33	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
			SER	23	8	3	14	5	53	5	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	ER	64	7	5	5	10	91	10	0	3	2	0	3	0	0	0	0	0
			SER	38	13	6	23	8	88	9	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	ER	26	8	4	15	7	60	7	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
			SER	26	3	5	14	5	53	5	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	ER	26	8	5	17	7	63	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			SER	45	16	8	29	11	109	11	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	ER	4	2	1	2	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	4	1	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				480	140	75	244	104	1043	101	9	13	11	0	12	0	0	0	0	0

RRB - Mumbai

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	CR	11	2	1	5	2	21	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	CR	89	38	18	51	31	227	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SCR	52	20	10	35	13	130	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WR	39	18	0	40	11	108	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	CR	54	21	10	39	17	141	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SCR	11	4	2	8	3	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WR	55	24	12	41	15	147	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	CR	271	32	35	26	41	405	40	5	5	5	0	4	0	0	0	0	0
			WR	202	75	38	135	50	500	50	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	CR	104	27	20	46	20	217	21	3	5	3	0	2	0	0	0	0	0
			SCR	2	1	0	2	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			WR	56	18	17	32	13	136	13	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	CR	95	44	40	110	40	329	33	0	7	5	0	4	0	0	0	0	0
			SCR	14	5	3	10	4	36	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			WR	65	24	13	44	17	163	17	0	3	2	0	3	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	CR	59	25	11	39	15	149	14	0	3	5	0	2	0	0	0	0	0
			SCR	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WR	88	33	17	61	23	222	23	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	CR	26	8	2	12	5	53	5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
			WR	71	26	13	46	17	173	17	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	CR	153	43	24	71	37	328	36	4	5	5	0	3	0	0	0	0	0
			WR	33	8	6	24	8	79	7	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	CR	27	8	5	16	4	60	6	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
			SCR	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				1580	505	297	895	388	3665	360	30	45	43	0	34	0	0	0	0	0

RRB - Muzaffarpur

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Station Master	6	ECR	6	2	1	4	2	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	ECR	4	2	1	2	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	ECR	12	5	3	9	4	33	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	ECR	56	20	10	37	14	137	14	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	ECR	36	14	6	23	8	87	8	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	ECR	18	8	4	12	5	47	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
RRB Total				132	51	25	87	34	329	34	2	4	7	0	6	0	0	0	0	0

RRB - Patna

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	ECR	22	8	5	15	5	55	5	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	ECR	37	28	46	29	15	155	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	ECR	62	48	36	44	21	211	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	ECR	94	34	17	62	23	230	23	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	ECR	25	9	8	17	7	66	7	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	ECR	61	23	13	41	16	154	16	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	ECR	17	7	4	12	5	45	5	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	ECR	11	4	2	7	2	26	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	ECR	20	9	5	15	5	54	5	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0
			RWP	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	ECR	13	10	3	10	4	42	4	0	2	2	0	3	0	1	1	0	0
RRB Total				362	181	139	252	103	1039	99	8	13	11	0	13	0	1	1	0	0

RRB - Ranchi

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	ECR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	2	0	1	2	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	ECR	50	19	10	35	13	127	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	34	26	8	21	10	99	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	ECR	26	4	0	29	11	70	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SER	156	68	30	106	41	401	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	ECR	26	9	5	17	6	63	6	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
			SER	28	12	5	17	8	70	8	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	ECR	39	14	7	26	10	96	13	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0
			SER	20	8	2	11	5	46	5	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	ECR	61	22	11	39	15	148	15	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0
			SER	34	14	5	18	8	79	8	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	ECR	29	11	5	20	8	73	7	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
			SER	29	14	5	19	7	74	7	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	ECR	5	3	2	5	2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			SER	8	2	2	3	2	17	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
RRB Total				548	226	98	368	146	1386	150	9	18	20	0	14	0	0	0	0	0

RRB - Secunderabad

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Commercial Apprentice	6	ECoR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Station Master	6	ECoR	14	5	2	7	3	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SCR	328	119	63	219	81	810	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	ECoR	59	20	11	32	14	136	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SCR	298	106	54	190	74	722	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Junior Accounts Assistant Cum Typist	5	SCR	38	13	6	24	8	89	8	11	1	1	0	3	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	ECoR	3	3	3	1	1	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SCR	47	19	9	27	11	113	11	2	2	0	0	17	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	ECoR	13	5	2	8	3	31	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
			SCR	176	67	35	113	44	435	44	0	11	10	0	3	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	ECoR	17	6	3	9	4	39	4	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0
			SCR	243	90	44	154	60	591	59	0	12	12	0	7	0	0	0	0	0
10	Accounts Clerk Cum Typist	2	SCR	28	10	5	17	6	66	6	9	1	1	0	2	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	ECoR	2	2	4	1	2	11	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			SCR	47	20	13	27	12	119	11	6	2	2	0	2	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	ECoR	3	2	2	1	1	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			SCR	8	3	1	6	2	20	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				1325	490	257	836	326	3234	303	32	34	29	0	37	0	0	0	0	0

RRB - Siliguri																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Station Master	6	NFR	20	7	4	13	6	50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	NFR	29	11	5	19	7	71	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	NFR	23	9	5	17	6	60	6	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	NFR	35	13	7	23	9	87	9	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
8	Traffic Assistant	4	NFR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	NFR	26	10	5	17	6	64	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	NFR	34	13	6	23	8	84	8	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	NFR	10	4	2	7	3	26	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
RRB Total				178	67	34	119	45	443	44	4	7	8	0	6	0	0	0	0	0

RRB - Thiruvananthapuram																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	ExSM	VI	HI	LD	OD	MD	B-VI	B-HI	B-LD	B-OD	B-MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	Station Master	6	SR	171	47	47	37	38	340	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Goods Guard	5	SR	32	13	8	23	9	85	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Senior Clerk Cum Typist	5	SR	12	4	2	6	2	26	2	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0
6	Senior Commercial Cum Ticket Clerk	5	SR	81	37	20	58	24	220	24	0	4	4	0	2	0	0	0	0	0
9	Commercial Cum Ticket Clerk	3	SR	63	26	22	43	19	173	17	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0
11	Junior Clerk Cum Typist	2	SR	13	9	6	8	3	39	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
13	Trains Clerk	2	SR	5	2	2	3	2	14	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0
RRB Total				377	138	107	178	97	897	87	2	11	18	0	5	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL (All RRBs)				15131	5127	2787	8712	3510	35277	3365	236	449	492	0	340	0	6	2	0	2

Abbreviations:VI= Visually Impaired, HI = Hearing Impaired, LD = Locomotors Disabilities, OD = Other Disabilities, MD = Multiple Disabilities, B-VI=Backlog Visually Impaired, B-HI = Backlog Hearing Impaired, B-LD = Backlog Locomotors Disabilities, B-OD = Backlog Other Disabilities, B-MD = Backlog Multiple Disabilities, AAV=Acid Attack Victim, ASD=Autism Spectrum Disorder, B=Blind, BL=Both Legs, D=Deaf, DW=Dwarfism, HH=Hard of Hearing, HI=Hearing Impairment, ID= Intellectual Disability, LC=Leprosy Cured, LD=Locomotor Disability, LV=Low Vision, MD=Muscular Dystrophy, MW= Muscular Weakness, OA=One Arm, OL=One Leg, OAL=One Arm & One Leg, PwBD=Persons With Benchmark Disabilities, RPwD = Rights of Persons with Disabilities, SLD=Speech and Language Disability, VI=Visually Impairment.